सतत् विकास के लक्ष्य

पंचायत स्तर पर लक्ष्य प्राप्ति की रणनीतियां

विज़न 2030

उत्तर प्रदेश

मई **2019**

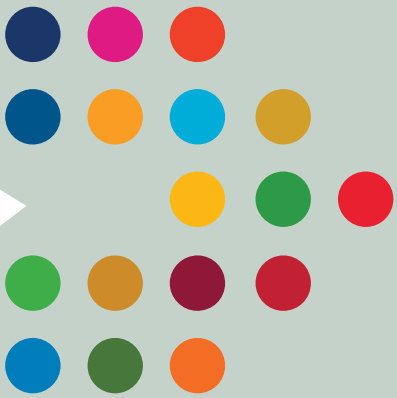

सतत् विकास के लक्ष्य

विषय सूची

1 हर स्थान पर गरीबी तथा इसके स्वरूपों का खात्मा 8

2 भुखमरी समाप्त करना, खाद्य सुरक्षा और बेहतर पोषण हासिल करना तथा सतत् कृषि को बढ़ावा देना 18

3 स्वस्थ जीवन सुनिश्चित करना और सभी के लिए आजीवन स्वास्थ्य को बढ़ावा देना 28

4 समावेशी और न्यायसंगत गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना और सभी के लिए आजीवन शिक्षा प्राप्ति के अवसरों को बढ़ावा देना 36

5 लैंगिक समानता हासिल करना और महिलाओं तथा बालिकाओं का सशक्तिकरण करना 44

6 सभी के लिए जल और स्वच्छता की उपलब्धता तथा सतत् प्रबंधन सुनिश्चित करना 52

7 सभी के लिए किफायती, भरोसेमंद, सतत् और आधुनिक ऊर्जा की उपलब्धता सुनिश्चित करना 58

8 सभी के लिए सतत्, समावेशी और संधारणीय आर्थिक विकास, पूर्ण और लाभकारी रोज़गार तथा उचित कार्यों को बढ़ावा देना 60

10 राष्ट्र के अंदर एवं उनके बीच असमानता को कम करना 64

12 सतत् उपभोग और उत्पादन प्रणाली सुनिश्चित करना 66

13 जलवायु परिवर्तन और इसके प्रभावों से निपटने के लिए तात्कालिक कार्यवाही करना 72

15 स्थलीय पारिस्थिकी तंत्रों का संरक्षण और पुनरुद्धार करना तथा इनके सतत् उपयोग को बढ़ावा देना, वनों का सतत् तरीके से प्रबंधन करना, मरुस्थल विरोधी उपाय करना, भूमि अवक्रमण को रोकना और प्रवर्तित करना और जैव विविधता की हानि को रोकना 74

16 सतत् विकास के लिए शांतिपूर्ण और समावेशी समाज को बढ़ावा देना, सभी को न्याय उपलब्ध कराना तथा सभी स्तरों पर कारगर, जवाबदेह और समावेशी सस्थाओं का निर्माण करना। 80

सन्दर्भ

पंचायती राज विभाग ने यूनिसेफ के साथ मिल कर अपने लखनऊ स्थित कार्यालय में राज्य द्वारा तैयार ग्राम पंचायत विकास योजना (जी.पी.पी.पी.) के दिशा–निर्देशों की समीक्षा के साथ ही साथ GPDP में SDG के लक्ष्यों को कैसे शामिल किया जाए – विषय पर दो दिवसीय परामर्श (8 से 9 फरवरी 2017) बैठक का आयोजन किया जिसमें संबंधित विभागों और नागरिक समाज के प्रतिनिधियों ने सहभागिता की। इस बैठक में यूएनडीपी और भारत सरकार, पंचायती राज मंत्रालय के प्रतिनिधियों ने भी सहभागिता कर अपने–अपने सुझाव दिए। बैठक के दौरान प्रतिभागियों को तीन समूहों – सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरण में विभाजित कर जीपी स्तर पर संचालित गतिविधियों में एसडीजी लक्ष्यों को कैसे समाहित जा सकता है, इसके बारे में चर्चा करने को कहा गया।

समूहों ने प्रासंगिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए लक्ष्य 9, 11 और 17 (ग्राम पंचायत स्तर पर प्रासंगिक नहीं) को छोड़ कर गतिविधियों की एक सूची के साथ समुदाय की भागीदारी और लक्ष्यों के प्रति ग्राम पंचायत स्तर जागरुकता बढ़ाने के सन्दर्भ में अपने–अपने सुझाव दिए। लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए गतिविधियों की सूची को विभागों द्वारा अनुमोदन प्रदान करने के साथ–साथ राज्य में एसडीजी की प्रगति, समीक्षा एवं निगरानी के लिए रूपरेखा बनाकर कार्य करने का संकल्प व्यक्त किया गया।

ग्राम पंचायत स्तर पर प्रासंगिक लक्ष्यों को प्राप्त करने संबंधित गतिविधियों की सूची को नीचे दिया गया है–

1 हर स्थान पर गरीबी तथा इसके स्वरूपों का खात्मा

टार्गेट 1.3

राष्ट्रीय रूप से उपयुक्त सामाजिक संरक्षण प्रणाली और उपायों को सभी वर्गों के लिए कार्यान्वित करना और वर्ष 2030 तक गरीब और कमज़ोर वर्गों को इसके अंतर्गत शामिल करना।

संभावित गतिविधि

सामाजिक सुरक्षा और अन्य योजनाओं के तहत आच्छादन के लिए गरीबों की पहचान।

कैसे

पारिवारिक सर्वेक्षण करा कर कमज़ोर स्थानीय निवासियों के साथ निराश्रित, अनाथ, विधवा, पृथक, विकलांग और भूमिहीन वर्गों की पहचान कर नक्शा तैयार करना।

सर्वेक्षण में एकाधिक भेद्यता वाले व्यक्तियों को भी शामिल करना। ऐसे परिवारों को विशेष सहायता की आवश्यकता होती है जो महिला प्रधान, भूमिहीन और बाल–प्रधान परिवार हैं।

कौशल/उद्यमिता विकास के लिए पात्र बेरोज़गार युवा को भी सर्वेक्षण में शामिल किया जा सकता है।

सर्वेक्षण रोज़गार सेवक, आँगनवाड़ी, आशा, वार्ड मेम्बर एवं स्वैच्छिक कार्यकर्ता (युवक/युवती) की सहायता से किया जा सकता है।

इस पारिवारिक सर्वेक्षण का खर्च ग्राम पंचायत के प्रशासनिक व्यय के मद से किया जा सकता है।

संभावित गतिविधि

बीपीएल और अन्य श्रेणियों की सूची अपडेट करें जो मौजूदा सामाजिक सुरक्षा और अन्य योजना को पाने के लिए पात्रता रखते हों।

अद्यतन सूची के लिए अलग से रजिस्टरों में आधार कार्ड के साथ पहचानी गई श्रेणियों का विवरण।

सभी पात्र व्यक्तियों एवं परिवार का प्रासंगिक योजनाओं के अंतर्गत आच्छादन सुनिश्चित करें।

कैसे

इन श्रेणियों में शामिल हैं – विधवाएं, वरिष्ठ या बुज़ुर्ग नागरिक, विकलांग, अंत्योदय कार्ड धारक परिवार, दैनिक मजदूर, कृषि मजदूर, बेरोज़गार युवा, भूमिहीन परिवार, शौचालय विहीन परिवार, विद्युत विहीन परिवार, आवास योजना और अन्य श्रेणियों के योजनाओं लिए पात्र हैं। इनके अलावा कमज़ोर या परित्यक्त महिलाएं (महिला अध्यक्षता वाले परिवार), बच्चे के नेतृत्व वाले परिवार तथा एच.आई.वी. ग्रसित व्यक्तियों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

हर प्रकार की योजनाओं की पात्रता का निर्धारण एवं प्राथमिकता सूची पर चर्चा और अंतिम रूप देने के लिए ग्राम सभा की बैठकों का आयोजन।

टार्गेट 1.4

वर्ष 2030 तक यह सुनिश्चित करना कि सभी पुरुष और महिलाओं, विशेष रूप से गरीब और कमज़ोर को आर्थिक संसाधनों के समान अधिकारों के साथ-साथ मूलभूत सेवाएं, भूमि तथा सम्पत्ति अन्य रूपों, विरासत, प्राकृतिक संसाधन, उपयुक्त नई प्रौद्योगिकी और माइक्रो फिइनेन्स सहित वित्तीय सेवाओं का स्वामित्व और नियंत्रण प्राप्त हो।

संभावित गतिविधि

शत प्रतिशत – गरीब मजदूर जो रोज़गार चाहते हैं, उनका जॉब कार्ड निर्गत किया जाए।

कार्यों की सूची तैयार करना/ कार्यों का वार्षिक कैलेण्डर।

निर्धारित कार्यों को विशेष तौर पर तब कराया जाए जब खेती का कार्य नहीं चल रहा हो।

समय से मापन और मास्टर रोल का नरेगा वेबसाइट पर अपलोड करना।

कैसे

ग्राम पंचायत की बैठक में वार्ड वार सूची बना कर संकलित किया जाए (वार्ड मेम्बर/ सचिव और रोज़गार सेवक)।

वार्ड के हिसाब से कार्यों की पहचान, प्राथमिकता एवं समय सीमा का निर्धारण।

ग्राम सभा की बैठक में (तकनीक सहायक एवं सचिव उपस्थित हों) रोज़गार सेवक कार्यों के लिए तकनीकी एवं वित्तीय अनुमोदन प्राप्त करें।

कार्यों के क्रियान्वयन में ब्लॉक स्तरीय तकनीक सहायक को जोड़ा जाए।

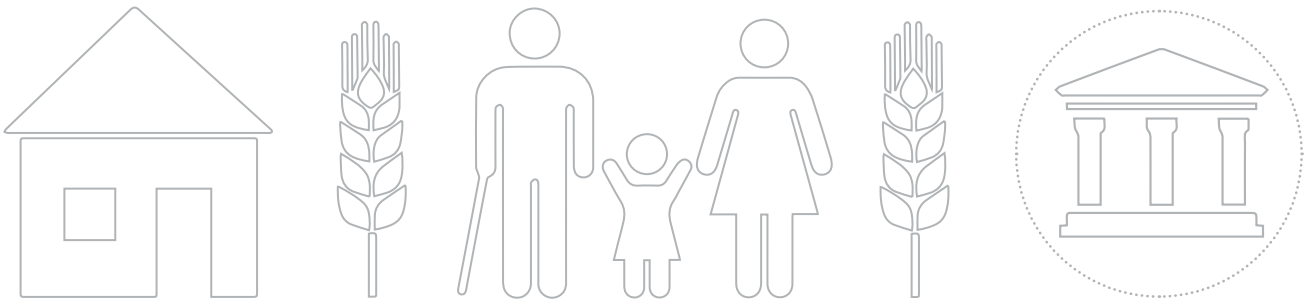

संभावित गतिविधि

कौशल विकास केन्द्र/प्रधानमंत्री कौशल विकास केन्द्र द्वारा ज़िला स्तर पर युवाओं एवं महिलाओं को रोज़गार देने के लिए उनकी भूमिका एवं कुशलता के आधार पर सूची बनाई जाए।

पंचायत स्तर पर विनिर्माण/सेवा/कृषि संबंधित कौशल एवं सूक्ष्म उद्योगों पर प्रशिक्षण दिया जाए या संबंधित व्यक्तियों को प्रेरित किया जाए कि वे कौशल विकास केन्द्र पर प्रशिक्षण ग्रहण करें।

ग्राम पंचायत में इंटरनेट कनेक्टिविटी हेतु ब्रॉड बैण्ड की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए।

कैसे

पंचायत सचिव निर्धारित व्यापार/रोज़गार के प्रशिक्षण के लिए इच्छुक व्यक्तियों की सूची को कौशल विकास केन्द्र से संपर्क कर साझा करें।

पंचायत सचिव कौशल विकास केन्द्र से संपर्क स्थापित करें।

'भारत नेट एवं डिजिटल इण्डिया परियोजना' के अंतर्गत निर्धारित गतिविधियों के क्षेत्रों में सहयोग प्रदान करें।

संभावित गतिविधि

उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों का मानचित्रण, जैसे – तालाब, नदी, वन क्षेत्र, बंजर भूमि, परती और असिंचित भूमि।

प्राकृतिक संसाधनों तक समान पहुंच सुनिश्चित करना।

कैसे

वार्ड स्तर की बैठकों का आयोजन कर सार्वजनिक सम्पत्ति की स्थिति की पहचान कर पुनः प्रचलन हेतु चिन्हित संसाधनों तक सभी की पहुंच सुलभ बनाएं।

संभावित गतिविधि

चकबन्दी को सुविधाजनक बनाने के लिए भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण को सहयोग करना।

कैसे

भूमि दस्तावेज़ को अद्यतन रखना (ग्राम पंचायत सचिव/लेखपाल)।

संभावित गतिविधि

भूमि प्रबंधक समिति को सक्रिय करना।

कैसे

भूमि हक पर या तो अकेले या संयुक्त रूप से सूचीबद्ध महिलाओं के नाम के लिए भूमि के अधिकारों का समर्थन करना (ग्राम पंचायत सचिव/लेखपाल)।

सहयोग करने के लिए भूमि हीन परिवारों, महिलाओं के नेतृत्व वाले परिवारों की पहचान करें (सचिव/प्रधान)।

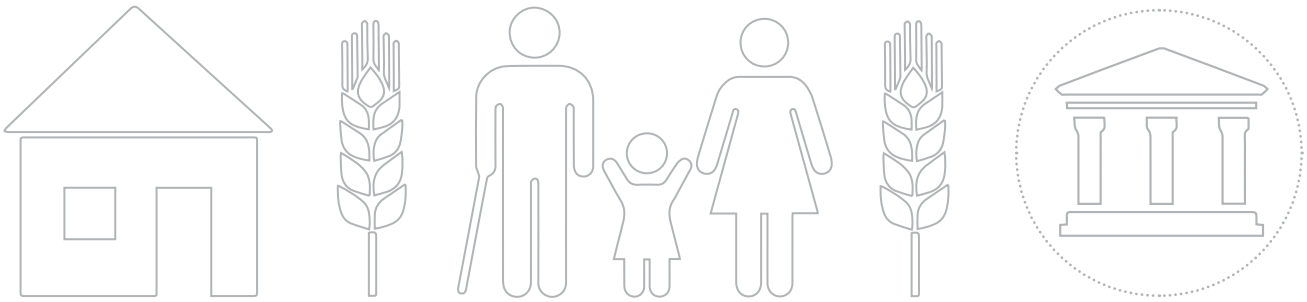

संभावित गतिविधि

मौजूदा उत्तराधिकार कानून को लोकप्रिय बनाना।

उत्तराधिकार से संबंधित लम्बित मुद्दों/संघर्ष की पहचान कर उपयुक्त मध्यस्थता का संचालन।

कैसे

- वार्ड स्तर पर बैठकों के दौरान उत्तराधिकार कानून का सार पढ़ा जाना चाहिए (वार्ड सदस्य)।
- उत्तराधिकार कानून पर आधारित मुकदमों में खुद सक्रिय होकर मध्यस्थता करें (वार्ड सदस्य/प्रधान)।

संभावित गतिविधि

शत–प्रतिशत गरीब परिवारों ग्रामीण का 'राज्य आजीविका मिशन' से आच्छादन एवं बैंक के साथ जुड़ाव सुनिश्चित करना।

कैसे

- ब्लॉक स्तर पर एस.आर.एल.एम. संदर्भित व्यक्ति को महिला समूहों को व्यवस्थित करने के लिए सहायता करें (वार्ड सदस्य/प्रधान)।
- सभी के लिए बैंक खाता सुनिश्चित करें और समूह का बैंक से लिंक करने लिए समर्थन करें (प्रधान/सचिव)।

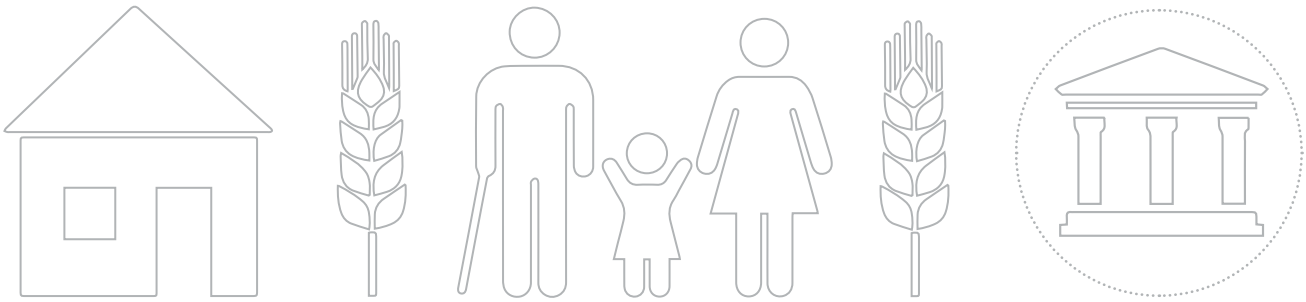

टार्गेट 1.5

वर्ष 2030 तक गरीब और कमज़ोर वर्ग के लोगों को कठिनाइयों से उभारना और जलवायु संबंधी चरम घटनाओं तथा अन्य आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय झटकों और आपदाओं के उन पर पड़ने वाले प्रभावों तथा जोखिमों को कम करना।

आपदा पूर्व संभावित गतिविधि

आपदा प्रभावित गांव/पुरवे का पारिस्थितिक विश्लेषण।

कैसे

समुदाय के जोखिम की गंभीरता पर एक रिपोर्ट तैयार करें जिसमें विभिन्न प्रकार के जोखिमों को अनावृत्त (सबसे कमज़ोर के लिए) किया हो।

सरकार की क्षेत्रों की सूची के अनुसार गांवों की स्थिति की जांच करें जहां प्राकृतिक आपदाओं का खतरा (सूखे, बाढ़ आदि) हो।

आपदा पूर्व संभावित गतिविधि

समुदाय स्तर पर जोखिम की पहचान और उससे निपटने की तैयारी हेतु योजना का निर्माण।

कैसे

सामुदायिक सदस्यों, वार्ड के सदस्यों, किसानों क्लब, एस.एच.जी., युवा समूह, युवा, शिक्षक और धार्मिक नेताओं (प्रधान) के साथ खुली बैठक में सूचनाओं का आदान–प्रदान।

आपदा पूर्व संभावित गतिविधि

उपलब्ध मानवीय एवं भौतिक संसाधनों की खामियों की पहचान कर उनकी क्षमता में वृद्धि।

कैसे

सामुदायिक नेताओं, एन.जी.ओ., समुदाय आधारित संगठनों, स्वयं सहायता समूहों, महिला प्रतिनिधियों के साथ परामर्श, जो पहल कर समुदाय के सदस्यों की क्षमता विकसित करने और सहयोग करने के लिए तैयार हों।

आपदा पूर्व संभावित गतिविधि

प्राकृतिक आपदा प्रभावी क्षेत्रों में इसके प्रभाव को कम करने के लिए उपायों का विकास।

कैसे

आपदा प्रभावी गांवों/पुरवों में उच्च स्थानों पर हैण्ड पम्प के निर्माण की कार्य योजना।

उच्च स्थानों पर आश्रय स्थल का निर्माण।

पूर्व में ही क्लोरीन टैबलेट, दवाइयां, अनाज, चारा, बीज, जीवन रक्षक जैकेट, लाइफ बॉय, ट्यूब, नौकाओं, रस्सियों और स्ट्रेचर आदि की उपलब्धता सुनिश्चित करना।

बाढ़ और सूखा प्रभावित क्षेत्रों में ब्लॉक–स्तर पर कृषि और बागवानी विभाग के साथ साझेदारी कर ऐसी फसलों की खेती को बढ़ावा देना जो कम समय में तैयार हो सकें।

गांवों में पेड़ों के वृक्षारोपण और सामाजिक वानिकी के लिए प्रोत्साहित करना एवं निवेश को बढ़ावा देना।

ब्लॉक स्तर पर पशु निरीक्षक के साथ पशुधन की टीकाकरण सुनिश्चित करें या ग्राम पंचायत स्तर पर प्राइवेट के माध्यम से टीकाकरण सुनिश्चित करें।

ग्रामीण स्तर पर पशुओं के लिए सुरक्षित आश्रय की पहचान करें।

आपदा पूर्व संभावित गतिविधि

लोगों को फसल, पशुधन और अन्य सम्पत्तियों का बीमा करने के लिए प्रोत्साहित करें।

कैसे

फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना पर जागरुकता शिविर का आयोजन।

जागरुकता शिविर की व्यवस्था कर लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए बीमा कम्पनियों को आमंत्रित करें और प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल के नष्ट होने पर किसानों को सुरक्षा व्यवस्था एवं पशुधन की हानि के लिए क्षतिपूर्ति प्रदान करने लिए, उन लोगों के लिए जो क्षति को बर्दाश्त नहीं कर सकते, (ग्रामप्रधान/सचिव और वार्ड सदस्य) सरकार की सहायता दिलाने में मदद करें।

आपदा पूर्व संभावित गतिविधि

आपदा प्रभावी क्षेत्रों वाले गांव में टास्क फोर्स का गठन कर उनकी क्षमता में वृद्धि।

समुदाय आधारित आपदा पूर्व चेतावनी प्रणाली की स्थापना जिसकी पहुंच (रेडियो, टीवी, ध्वनि चेतावनी, झण्डे इत्यादि) के माध्यम से पूरे समुदाय तक हो।

कैसे

महिला समूहों, युवा समूहों, क्लब, वार्ड सदस्यों, किसान समूहों, शिक्षकों, स्वास्थ्य कर्मचारियों और अन्य पंचायत स्तर के कार्यकर्ताओं (ग्राम प्रधान/सचिव) को शामिल कर विभिन्न प्रकार की टास्क फोर्स गठन, जो निम्नानुसार हो सकते हैं:

1. सूचना और चेतावनी दल
2. निकासी और खोज एवं बचाव टीम
3. प्राथमिक चिकित्सा
4. जल एवं स्वच्छता दल
5. आश्रय प्रबंधन
6. राहत प्रबंधन
7. शव निपटान दल
8. नुकसान आकलन दल
9. पुनर्निर्माण और पुनर्वास टीम

उपरोक्त टास्क फोर्स को सक्षम बनाने के लिए आपदा के पूर्व, दौरान और बाद की परिस्थितियों में उनकी भूमिकाओं और ज़िम्मेदारियों पर क्षमता वृद्धि हेतु प्रशिक्षण का आयोजन।

आपदा पूर्व संभावित गतिविधि

अनाज/बीज/चारा बैंक की स्थापना।

कैसे

अनाज बैंक/चारा बैंक/बीज बैंक के माध्यम से लोगों के लिए भोजन एवं पशुओं के लिए चारे की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए समुदाय आधारित समाधानों की पहचान करें (अनाज बैंक/चारा बैंक/बीज बैंक आदि को समुदाय के सदस्यों द्वारा स्थापित और प्रबंधित किया जा सकता है)।

आपदा पूर्व संभावित गतिविधि

आपदा पश्चात संभावित गतिविधियां।

कैसे

ग्राम प्रधान/सचिव/वार्ड मेम्बर निम्न को सुनिश्चित करें।

प्रतिकर के भुगतान के लिए पीड़ितों की पहचान और उनका 'राज्य आपदा राहत निधि' के मानकों के अनुसार वितरण।

मुआवज़ा पाने लिए पालन की जाने वाली लेखन प्रक्रिया, विशेषकर मृत्यु प्रमाण पत्र, बीमा आदि से संबंधित मामलों में पेपर कार्य हेतु परिवारों की सहायता करें।

यह सुनिश्चित करें कि जो सरकारी विभाग मुआवज़े के लिए ज़िम्मेदार हैं उन तक संबंधित कागज़ात और मूल्यांकन पत्र सहायता हेतु समय रहते पहुंचें जिसमें जीवन, सम्पत्ति तथा फसलों की हानि, पशुधन के नुकसान का मुआवज़ा आदि के साथ पुनर्वास, मरम्मत और पुनर्निर्माण के लिए योजना और उसका क्रियान्वयन हो सके।

घरों, सामुदायिक भवनों के पुनर्निर्माण के लिए योजना तैयार करना, जी.पी. के अधिकार क्षेत्र के भीतर सड़कों, हैण्ड पम्प आदि के जीर्णोद्धार के लिए ब्लॉक और जिला स्तर के अधिकारी की सहायता के साथ काम करना।

सुरक्षित पुनर्निर्माण के लिए न्यूनतम विनिर्देश।

स्वास्थ्य/शैक्षणिक सुविधाओं की पूर्वावस्था की प्राप्ति या अस्थायी विकल्प की बहाली।

सभी के लिए बैंक खाता सुनिश्चित करें और समूह के लिए सहयोग कर उनको बैंक के साथ जोड़ें।

2 भुखमरी समाप्त करना, खाद्य सुरक्षा और बेहतर पोषण हासिल करना तथा सतत् कृषि को बढ़ावा देना

टार्गेट 2.1

राष्ट्रीय रूप से उपयुक्त सामाजिक संरक्षण प्रणाली और उपायों को सभी वर्गों के लिए कार्यान्वित करना और वर्ष 2030 तक गरीब और कमज़ोर वर्गों को इसके अंतर्गत शामिल करना।

प्रस्तावित गतिविधि

'सार्वजनिक वितरण प्रणाली' के अंतर्गत शत–प्रतिशत परिवारों का नामांकन।

ग्राम पंचायतों में पी.डी.एस. के तहत 5 वर्ष तक के बच्चों, किशोरियों, गर्भवती एवं धात्री महिलाओं को आच्छादित किया जाए।

स्तनपान को बढ़ावा, विशेष रूप से शिशु के जन्म से 6 महीने की उम्र तक स्तनपान और बाद में पूरक आहार की शुरुआत।

सभी विद्यालय जाने वाले बच्चों को गुणवत्ता पूर्ण दोपहर के भोजन का प्रबंधन सुनिश्चित करना।

कैसे

'सार्वजनिक वितरण प्रणाली' (पी.डी.एस.) में नामांकन के लिए पात्र परिवारों को पुनः सत्यापित करना।

ग्राम सभा की बैठक में सत्यापित पात्रों की सूची को एजेंडे में शामिल करना।

ग्राम सभा के दौरान राशन की दुकान के वितरण प्रणाली पर चर्चा के लिए समय सुनिश्चित करें।

पी.डी.एस. के तहत राशन प्राप्त करने के लिए समुदाय में जागरुकता निर्माण और उचित मूल्य की दुकान के कामकाज पर समुदाय की प्रतिक्रिया जानना।

आई.सी.डी.एस. के तहत 5 वर्ष के सभी बच्चों, गर्भवती, किशोरियों और धात्री महिलाओं का नामांकन आँगनवाड़ी केन्द्र में दर्ज़ सुनिश्चित किया जाए।

गांव में स्वास्थ्य और पोषण दिवसों (वी.एच.एन.डी.) के नियमित आयोजन को सुनिश्चित करें और बैठक में सभी संबंधित हितभागियों की सहभागिता सुनिश्चित करें।

आँगनवाड़ी कार्यकर्ता के द्वारा नवजात शिशुओं के मासिक पैदाइशी के आधार पर रजिस्टर को अपडेट करना।

गर्भवती माताओं/महिलाओं और गंभीर रूप से कुपोषित बच्चे के लिए होम राशन (टी.एच.आर.) की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करें।

सुनिश्चित करें कि लाभार्थी रजिस्टर व्यवस्थित भर दिया गया है और प्रत्येक महीने कि 5, 15 और 25 तारीख को टी.एच.आर. दिवस पर रजिस्टर की समीक्षा करें।

कैसे

सुनिश्चित करें कि आशा द्वारा गर्भवती महिलाओं को टी.एच.आर. दिवस पर एक घंटे के भीतर स्तनपान कराने की शुरुआत और विशेष तौर पर छह महीने के लिए भोजन के रूप में स्तनपान (पानी भी नहीं) की सलाह दी जाती है।

छह महीने पश्चात पूरक आहार की शुरुआत, जो परिवार के लोगों द्वारा प्रयोग में लाया जाता है।

दोपहर के भोजन के समय विद्यालयों की सप्ताह में एक बार निरीक्षण विद्यालय प्रबंधन समिति (एस.एम.सी.)/ वार्ड सदस्यों को मध्यान्न भोजन की गुणवत्ता की निगरानी के लिए संभव हो तो चखने के लिए प्रोत्साहित करें।

विद्यालय प्रबंधन समिति (एस.एम.सी.) की बैठक के दौरान भोजन एवं उसकी गुणवत्ता और पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता पर चर्चा करें।

टार्गेट 2.2

वर्ष 2030 तक कुपोषण के सभी रूपों को समाप्त करने सहित 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की कमज़ोरी और विकास को अवरुद्ध करने संबंधी अन्तर्राष्ट्रीय रूप से सहमत लक्ष्यों को वर्ष 2025 तक प्राप्त करना और किशोरियों, गर्भवती तथा स्तनपान करने वाली महिलाओं और वृद्धों की पोषण आवश्यकताओं को पूरा करना।

प्रस्तावित गतिविधि

यह सुनिश्चित करना कि सभी पंजीकृत बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं का प्रतिमाह वज़न कर ग्रोथ चार्ट में भरा जाए।

यह सुनिश्चित करना कि आँगनवाड़ी केन्द्र गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों (जो लाल श्रेणी में चिन्हित हैं) तथा वे गर्भवती महिलाएं जो 45 किग्रा. से कम वज़न की हैं, की पहचान कर उनके परिवारों को सहयोग प्रदान करें।

गांव में वी.एच.एन.डी. का नियमित एवं ठीक प्रकार से आयोजन कर गंभीर रूप से कुपोषित तथा उच्च जोखिम वाली माँ की देखभाल।

हितभागियों (5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे, विद्यालय जाने एवं न जाने वाले बच्चे, गर्भवती एवं धात्री महिलाएं) की स्वीकारोक्ति एवं सहभागिता द्वारा 'अनीमिया नियंत्रण प्रोग्राम' को सहयोग प्रदान कर सफलता सुनिश्चित करना।

किशोरावस्था की ज़रुरतों को पूरा करने के लिए पंचायत में 'राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम' को बढ़ावा दें।

कैसे

वार्ड मेम्बरों को प्रोत्साहित करना कि पंजीकरण रजिस्टर की जांच करें कि बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं, जो उनके वार्डों से संबंधित हैं, का पंजीकरण सुनिश्चित हो (प्रधान)।

काम कर रही (क्रियाशील) वज़न मशीन की उपलब्धता सुनिश्चित करें एवं (गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों का नियमित हर 15 दिन पर वज़न लिया जाए) बच्चों के ग्रोथ चार्ट और मातृ एवं शिशु संरक्षण कार्ड (एम.सी.पी. कार्ड) की निगरानी एवं अनुश्रवण किया जाए।

आँगनवाड़ी कार्यकर्त्री द्वारा चिन्हित गंभीर कुपोषित बच्चों के परिवारों को सरकारी उपलब्ध योजनाओं (पूरक पोषण आहार, राशन कार्ड, शौचालय निर्माण, पेंशन, सुरक्षित पीने का पानी) के माध्यम से सहयोग प्रदान कराना।

ग्राम प्रधान एवं वार्ड मेम्बर यह सुनिश्चित करें कि आशा एवं आँगनवाड़ी कार्यकर्त्री चिन्हित परिवारों का नियमित गृह भ्रमण करें।

(वार्ड सदस्य) यह सुनिश्चित करें कि सभी किशोरियों, गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली महिलाओं को 'पूरक पोषण कार्यक्रम' के अंतर्गत कवर किया गया है।

यह सुनिश्चित करें कि वी.एच.एन.डी. के आयोजन के समय आशा एवं आँगनवाड़ी कार्यकर्त्री द्वारा आयरन सिरप की बोतल माताओं (6 माह से 5 वर्ष तक के बच्चों की) को वितरित किया गया है और उनका सेवन सप्ताह में 2 बार एक उसके हिसाब से लिया जा रहा है।

बच्चों एवं किशोरियों के लिए चलाए जा रहे डब्ल्यू.एफ.आई.एस. की साप्ताहिक समीक्षा की जाए जिसमें –

- 6–10 साल की लड़कियों और लड़कों – प्रत्येक पर एक आई.एफ.ए. टैबलेट (45 मिलीग्राम – गुलाबी) सोमवार के भोजन के 1 घण्टे बाद।
- 10–19 वर्ष की लड़कियों और लड़कों–प्रत्येक पर एक आई.एफ.ए. टैबलेट (100 मिलीग्राम – नीली) सोमवार के भोजन के 1 घण्टे बाद।
- आँगनवाड़ी में गर्भवती महिलाओं के लिए – एक आई.एफ.ए. गोली (100 मिलीग्राम – लाल) 180 दिनों की अवधि के लिए प्रतिदिन, दूसरी तिमाही के बाद।

यह सुनिश्चित कराना कि प्रत्येक आँगनवाड़ी केन्द्र पर बच्चों के लिए बाल मैत्री शौचालय तथा किशोरियों के लिए शुद्ध पीने के पानी का प्रबन्ध हो।

10–19 वर्ष तक की किशोरियां जो विद्यालय नहीं जाती हैं – प्रत्येक द्व ारा एक गोली आई.एफ.ए. (नीली) बुधवार या शनिवार को ली जाए।

'सहकर्मी शिक्षा प्रणाली' के द्व ारा मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन, जीवन कौशल, पोषण इत्यादि के बारे में जागरुकता।

किशोरों के अनुकूल स्वास्थ्य क्लीनिकों के बारे में जानकारी।

प्रस्तावित गतिविधि

कृषि, बागवानी, पशु पालन और मछली पालन विभाग द्वारा उपलब्ध योजनाओं के ज़रिए गरीब परिवार के भोजन और पोषण संबंधी सुरक्षा को बढ़ाना।

कैसे

- आँगनवाड़ी केन्द्रों के माध्यम से किचन गार्डन के बारे में जानकारी।
- पोषण वाटिका स्कीम (मिनी किट देकर) के माध्यम से परिवारों में किचन गार्डनिंग करने हेतु सहयोग प्रदान कराना।
- ग्रामीण इलाकों में पोल्ट्री को बढ़ावा देना, विशेषकर गरीब, महिला प्रधान परिवार या अन्य योग्य परिवार को आँगनवाड़ी केन्द्र द्वारा स्थानीय रूप से उपलब्ध सब्ज़ियों (पत्तेदार सब्ज़ियां, फल) को पूरक भोजन के रूप में शामिल कर प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए समुदाय के योगदान को प्रोत्साहन एवं सहयोग प्रदान करना।
- गांव के तालाबों में सामाजिक मत्स्य पालन को बढ़ावा एवं नरेगा योजना के द्वारा उनकी सफाई।
- किसानों को एकीकृत (धान के साथ मछली) खेती के लिए प्रेरित करना।
- पोषण की आवश्यकता वाले वृद्ध व्यक्तियों की पहचान, जिनको सामुदायिक सहयोग की आवश्यकता है, उनके लिए भी उचित प्रबन्ध किया जाए।

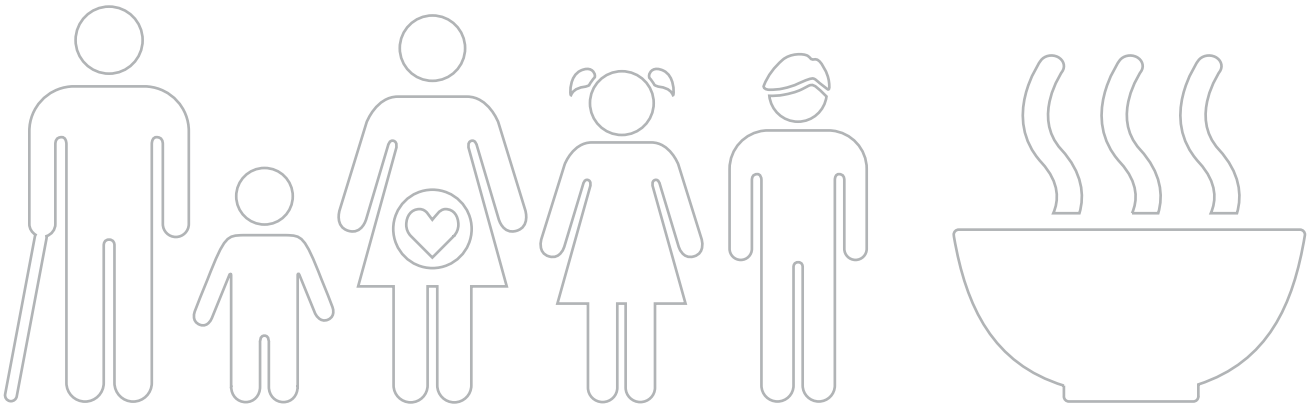

टार्गेट 2.3

वर्ष 2030 तक मूल्य वर्धित और गैर कृषि रोज़गार के लिए भूमि, अन्य उत्पादक संसाधनों और सामग्री, जानकारी, वित्तीय सेवाएं, बाज़ार और अवसरों के सुरक्षित और सामान अवसरों के माध्यम से लघु उद्योग खाद्य उत्पादकों विशेष रूप से महिलाओं, स्वदेशी लोगों, किसान परिवारों, चरवाहों तथा मछुआरों की कृषि उत्पादकता और आय को दोगुना करना।

प्रस्तावित गतिविधि

www.upagriculture.com पोर्टल पर सभी किसानों का नामांकन सुनिश्चित किया जाए।

'किसान सेवा रथ' के संचालन के द्वारा किसानों के मध्य जागरुकता एवं तकनीकी सहयोग से उन्नत कृषि व्यवहार को बढ़ावा देना।

किसानों के मध्य 'कृषि चिंतन एवं पशु पालन' पत्रिका तक पहुंच बनाने लिए उनका वार्षिक अंशदान सुनिश्चित करना।

कैसे

पोर्टल और पंजीकरण के फायदों को लोकप्रिय बनाएं, अशिक्षित किसानों एवं महिलाओं का पंजीकरण सुगम बनाने के लिए साक्षरता प्रेरक और अन्य युवाओं का सहयोग लें।

उप–सम्भागीय स्तर पर तहसील में कृषि विकास अधिकारी तथा न्याय पंचायत स्तर पर तकनीक सहायक समूह 'ग' से संपर्क (प्रधान)।

'किसान सेवा रथ' का समय, स्थान एवं दिनांक निर्धारित कर समुदाय की सहभागिता सुनिश्चित करें।

अंशदान के लिए उप–सम्भागीय स्तर पर तहसील में कृषि विकास अधिकारी से संपर्क करें।

प्रस्तावित गतिविधि

महिलाओं की निश्चित भागीदारी के साथ 'किसान कृषि विशेष चौपाल' का आयोजन।

'राष्ट्रीय सतत् कृषि विकास मिशन' के अंतर्गत किसानों को 'मृदा स्वाथ्य परीक्षण कार्ड' लेने तथा मिट्टी का परीक्षण कराने में सहयोग एवं उर्वरक उपलब्धता के अनुसार कार्यान्वयन के लिए सिफारिश करें।

भूमि उपभोग में सुधार के लिए उनका आधार कार्ड से जोड़ने की पहल (जिप्सम को लागू करना)।

'भूमि और जल संरक्षण कार्यक्रम' को क्षुधातुर क्षेत्र में चालू करना।

लघु एवं सीमान्त किसानों को बैंक से जोड़ कर वित्तीय सहायता प्रदान करना।

सिंचाई में नियोजन एवं सहयोग देना।

एकीकृत कीट प्रबंधन को बढ़ावा देना।

शीघ्र नाशवान वस्तुओं की देखभाल और पैकेजिंग के लिए किसानों को प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान करें (विशेषकर फूलों एवं सब्ज़ियों के सन्दर्भ में)।

कैसे

उप–सम्भागीय स्तर पर तहसील में कृषि विकास अधिकारी से संपर्क करें (प्रधान, सचिव)।

समय, स्थान एवं दिनांक निर्धारित कर समुदाय की गतिशीलता/सहभागिता (वार्ड मेम्बर) विशेषकर महिला सदस्य की सुनिश्चित करें।

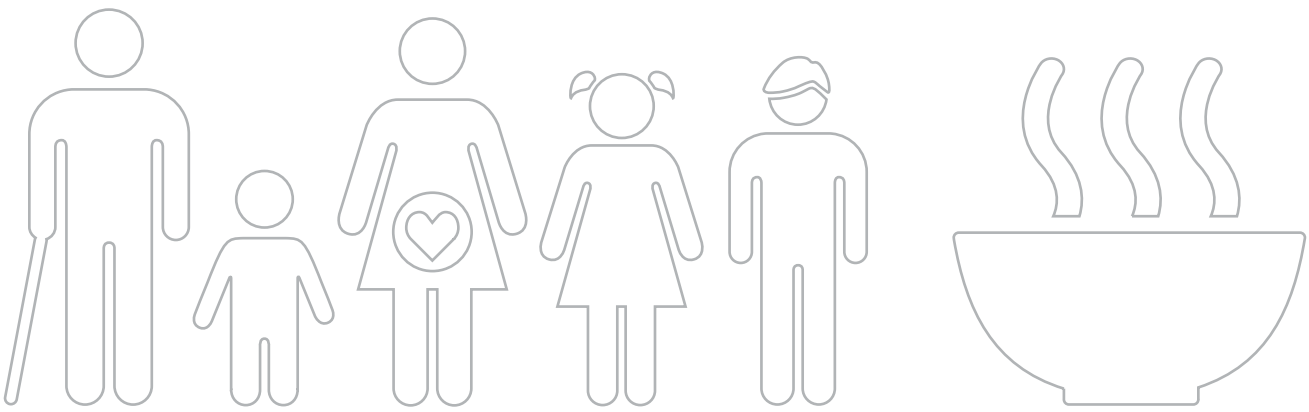

कैसे

मृदा और ज़मीन के सुधार और जल निकायों के पुनरुद्धार के लिए एक विस्तृत योजना के साथ तकनीकी सहायकों से संपर्क करें।

जिन गतिविधियों/कार्यों को विभागीय संसाधन से आच्छादित नहीं किया जा सकता उनके लिए नरेगा/अन्य विशेष पैकेज/जी.पी.डी.पी. से प्रबन्ध करें (प्रधान/सचिव)।

कार्यक्रम, जो मृदा एवं भूमि सुधार और जल निकायों के पुनरुद्धार से संबंधित है, को जी.पी.डी.पी. की वार्षिक कार्य योजना में सम्मिलित किया जाए।

जल जमाव वाले क्षेत्रों में नाली निकास की व्यवस्था।

उबड़–खाबड़ ज़मीन का समतलीकरण।

नरेगा द्वारा जल निकायों के पुनरुद्धार/जीर्णोद्धार करना।

'खेत का पानी खेत में' योजना के अंतर्गत बुन्देलखण्ड में तालाब की स्थापना।

शत–प्रतिशत लघु एवं सीमान्त कृषकों का खाता प्राथमिक रूप से कृषि सहकारी समिति (पी.ए.सी.एस.) में हो।

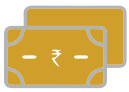

राष्ट्रीयकृत बैंक से 'किसान क्रेडिट कार्ड' का आच्छादन सुनिश्चित करना।

जागरुकता निर्माण और मार्गदर्शन के द्वारा फसल ऋण/उर्वरक और फसल बीमा के माध्यम से सहायता प्राप्त करने में सहयोग।

पुनर्भुगतान सुनिश्चित करने के लिए समय–सारिणी के अनुसार नियोजन में सहायता।

न्याय पंचायत स्तर पर तकनीकी सहायता समूह–सी से संपर्क करें – एन.ई.डी.ए.।

उन किसानों के बीच जिनके पास अपना खुद का ट्यूबवेल है, 'मोबाइल बारिश गन' और 'छिड़काव सिंचाई प्रणाली' को बढ़ावा देना।

बैंक और तकनीकी एजेंसियां संधि के माध्यम से 'सोलर फोटोवॉल्टिक सिंचाई पम्प' को बढ़ावा दें।

किसानों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले सबसे विषाक्त कीटनाशकों की पहचान करें और ग्राम सभा की बैठक तथा किसानों के बीच चर्चा करते हुए इसके उपयोग को निरुत्साहित करें।

जैव कीटनाशक के उपयोग को प्रोत्साहित करें।

बागवानी निरीक्षक, मत्स्य निरीक्षक, पशु चिकित्सक से ब्लॉक स्तर पर तथा तकनीकी सहायक से न्याय पंचायत स्तर पर संपर्क करें।

किसानों को उत्पादन के भंडारण और ग्रेडिंग के लिए बक्से और अन्य उपकरण खरीदने के लिए सब्सिडी की सुविधा प्रदान करें।

प्रस्तावित गतिविधि

किसानों द्वारा खेतों में खूंटी (फसल अवशेष) जलाने को निरुत्साहित करना।

कृषि भण्डारण और विपणन में दक्षता को बढ़ावा देना।

उत्पादों के बेहतर मूल्य सुनिश्चित करने के लिए ई–मण्डिया को लोकप्रिय बनाएं।

मूल्य वर्धन/खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की उत्पादित उपलब्धता के अनुसार स्थापना के लिए योजना बनाना।

किसानों, विशेष रूप से गरीब और महिला किसानों के बीच विविधताओं को बढ़ावा देना।

इस बात के वावजूद भी, कि महिलाओं के नाम ज़मीन पंजीकृत नहीं है, कृषि, बागवानी और पशुपालन में लगी महिलाओं के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन।

कैसे

किसानों के बीच फसल काटने (combined harvester) एवं लवण बांधने (reaper – binder) की मशीन के संयुक्त प्रयोग की अनिवार्यता के प्रयोग को बढ़ावा देना। खेतों में खूंटी जलाने से होने वाले दुष्प्रभावों एवं खतरों से किसानों को अवगत कराना।

करीब 100 मीट्रिक टन का उत्पादन वाले ग्राम पंचायत स्तर पर सौर सक्षम भण्डारण सुविधा की आवश्यकता हो कि योजना, विशेष रूप से सब्ज़ियों (आलू) के लिए सौर सक्षम कोल्ड स्टोरेज की योजना बनाएं और स्थापित करें।

उद्यमशीलता और अंशकालिक कार्य के भाग के रूप में युवाओं के बीच ई–मण्डी मित्र धारणा को बढ़ावा देना जिसके कारण किसानों के द्वारा ई–मण्डी तक पहुंच बन सके।

ऐसी इकाइयों की व्यवहार्यता हेतु ब्लॉक/जिला स्तर पर बागवानी विभाग से संपर्क करें।

'राष्ट्रीय बागवानी मिशन' के अंतर्गत प्रदान की जा रही छूट को उपलब्ध कराकर ग्राम पंचायत स्तर पर हरित गृह/पाली गृह के निर्माण की योजना।

स्थानीय उत्पादों का ब्रांडिंग और बेहतर पैकेजिंग जिससे स्थानीय उत्पादों की बेहतर कीमत मिल सके।

विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन द्वारा उन परिवारों, जो कृषि कार्य में लगे हैं, को अन्य निविष्टियों के सहयोग का प्रावधान।

महिलाओं के लिए आयोजित होने वाले विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम और उनके नामों में इनपुट का प्रावधान, जिसमें नर्सरी और अन्य उद्यमी गतिविधियों का दायरा भी शामिल है।

टार्गेट 2.4

वर्ष 2030 तक सतत् खाद्य उत्पादन प्रणाली सुनिश्चित करना और लचीली कृषि पद्धति को कार्यान्वित करना, जो उत्पादकता और उत्पादन में वृद्धि करे जिससे पारिस्थितिकी तंत्र बना रहे ताकि मौसम परिवर्तन, प्रतिकूल वातावरण, सूखा, बाढ़ और अन्य आपदाओं को सहन करने में सक्षम हो और इससे भूमि और मृदा की गुणवत्ता में सुधार हो।

प्रस्तावित गतिविधि

किसानों को उपयुक्त कृषि संबंधी प्रथाओं को अपनाने, भूमि और मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार करने तथा मिट्टी एवं जल संरक्षण व्यवहार को अपनाने हेतु सहायता प्रदान करना।

कैसे

- जी.पी.डी.पी. स्थिति विश्लेषण के भाग के रूप में पंचायत में जिला/ब्लॉक स्तर के अधिकारियों की सहायता से कृषि जलवायु क्षेत्र और कृषि पारिस्थितिकी स्थिति का चित्रण करना।
- क्षेत्र के अनुसार उपयुक्त forming systems and cropping system की पहचान कर सहूलियत प्रदान करें।
- मृदा पर जानकारी का संग्रह और उसका प्रचार–प्रसार (क्षमता, मिट्टी की गुणवत्ता)।
- चारा ईंधन, जैविक खाद, बायोमास–स्रोत और (एन.टी.एफ.पी.) पर जानकारी।
- प्रत्येक खेती प्रणाली के लिए उपयुक्त (आई.टी.के.) की पुनःप्राप्ति।
- सूखे, बाढ़ आदि के लिए स्थानीय विविधताओं के बारे में सूचना का प्रसार एवं पुनःप्राप्ति और विभिन्न सामूहिक माध्यमों से उसको बढ़ावा देना।
- कृषक समुदाय को धीरे–धीरे टिकाऊ/जैविक कृषि प्रथाओं की दिशा में आगे बढ़ने के लिए निविष्टियां और विपणन के लिए पर्याप्त सहायता प्रदान करना।

3 स्वस्थ जीवन सुनिश्चित करना और सभी के लिए आजीवन स्वास्थ्य को बढ़ावा देना

टार्गेट 3.1

वर्ष 2030 तक वैश्विक मातृ मृत्यु दर को 70 प्रति 100,000 जीवित जन्म से कम करना।

टार्गेट 3.2

वर्ष 2030 तक नवजात शिशुओं और 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की निरोध्य मृत्यु को रोकना। सभी देशों ने शिशु मृत्यु दर को प्रति 1,000 जीवित जन्म पर 12 और 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की बाल मृत्यु दर को प्रति 1,000 जीवित बच्चों पर कम से कम 25 तक लाने का लक्ष्य रखा है।

प्रस्तावित गतिविधि

यह प्रावधान सुनिश्चित करें कि गांव स्तर पर काम करने वाले कर्मियों द्वारा सेवा की उपलब्धता सुलभ हो।

सहायता द्वारा शत–प्रतिशत गर्भवती महिलाओं की कवरेज उनके लिए उपलब्ध सेवाओं के साथ सुनिश्चित करें जिसमें पंजीकरण, ए.एन.सी., जननी सुरक्षा योजना, जननी शिशु सुरक्षा योजना हो।

कैसे

स्थान की पहचान और रख–रखाव के साथ 'ग्रामीण स्वास्थ्य और पोषण दिवस' के लिए बुधवार या शनिवार का दिन निर्धारित कर ए.एन.सी. की जांच गोपनीयता के साथ तथा टेबल, कुर्सी, खाट, पेयजल आदि की उपलब्धता (ग्राम प्रधान और वार्ड के सदस्य द्वारा)।

आशा और आँगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की सहायता से योग्य बच्चों की पहचान कर सामुदायिक मानचित्रण को समेकित करना और उचित स्थान पर बुधवार या शनिवार को टीकाकरण सत्र आयोजन करना।

ए.एन.एम. को छूटे हुए लोगों (परिवारों) तक पहुंच बनाने के लिए परिवहन सुविधा उपलब्ध कराना और ए.एन.एम. तथा परिवारों के लिए एक जगह सुनिश्चित कर सुविधाजनक समय पर समुदाय को एकत्रित करना (प्रधान और वार्ड मेम्बर)।

सरकारी स्वास्थ्य सुविधा एवं मुफ्त एम्बुलेंस सेवाओं की उपलब्धता घरों में प्रचलन में लाएं और अन्य सेवाएं, जैसे – रेफरल और मुफ्त भोजन, उपचार, रूटीन गर्भावस्था परीक्षण, अल्ट्रासाउण्ड और रक्त आधान आदि की उपलब्धता विशेष रूप से गरीब परिवारों की गर्भवती महिलाओं के लिए सुनिश्चित करें (प्रधान और वार्ड सदस्य)।

स्वस्थ नवजात के जन्म एवं देखभाल के तरीकों के बारे में जागरुकता पैदा करने के लिए विशेष बैठकों का आयोजन करें जिसके अंतर्गत स्तनपान, हाथ धोने, बच्चे को गर्म रखने, देरी से स्नान, डोरी (कॉर्ड) की देखभाल, शिशुओं के लिए जे.एस.एस.के. का प्रावधान सुनिश्चित हो तथा स्वास्थ्य कार्यक्रम, स्वच्छता और पर्यावरण की सफाई विषयों के लिए स्वास्थ्य तथा आई.सी.डी.एस. विभाग के ब्लॉक और जिला स्तर के अधिकारियों को बुलाएं (ग्राम प्रधान)।

प्रस्तावित गतिविधि

गांव में सहयोग द्वारा शत–प्रतिशत टीकाकरण सुनिश्चित करें।

सहयोग द्वारा शत–प्रतिशत बाल स्वास्थ्य पोषण मंच (बी.एस.पी.एम.) का कवरेज सुनिश्चित करें।

पोषण संबंधी और पारिवारिक कल्याणकारी सेवाओं का लाभ लेने में सहयोग प्रदान करें।

मातृ/शिशु/बाल मृत्यु पर, चौकसी और निगरानी सुनिश्चित करें, विशेषकर सभी के जन्म और मृत्यु के पंजीकरण के माध्यम से।

बाल स्वास्थ्य से संबंधित आपूर्ति ए.एन.एम. और आँगनवाड़ी कर्मी के साथ मिलकर सुनिश्चित करना (अमॉक्सिसिलिन, पी.सी.एम., ज़िंक, ओ.आर.एस. आदि) समुदाय के लिए गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना, विशेषकर गरीबों के लिए जो मुख्य रूप से सरकारी स्वाथ्य सेवाओं पर निर्भर हैं।

कैसे

टीकाकरण को नहीं स्वीकारने वाले परिवारों में स्वीकार्यता बढ़ाने के लिए उनके धार्मिक नेताओं को जोड़ें।

समुदाय के सहयोग एवं सहभागिता से वर्ष में 2 बार – जून एवं दिसम्बर के महीने में 'बाल स्वास्थ्य पोषण मंच' (बी.एस.पी.एम.) का आयोजन करें जिसमें 9 माह से 5 वर्ष तक के सभी बच्चों को विटामिन–ए का पूरक दिया जाए (प्रधान और वार्ड मेम्बर)।

वी.एच.एन.डी. के आयोजन के अवसर पर सहभागिता करें एवं वस्तुओं की उपलब्धता की समीक्षा कर समयबद्ध आपूर्ति सुनिश्चित करें (प्रधान)।

जन्म और मृत्यु से संबंधित सूचनाओं को पंचायत सचिव एवं अन्य कर्मियों (आशा, ए.एन.एम.) से वी.एच.एन.डी. के आयोजन के अवसर पर साझा करें (प्रधान)।

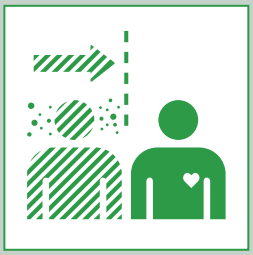

टार्गेट 3.3

वर्ष 2030 तक एड्स, क्षय रोग, मलेरिया और उपेषित उष्ण कटिबंधीय रोगों की महामारी को रोकना और हेपेटाइटिस, जल जनित और अन्य संचारी रोगों का मुकाबला करना।

प्रस्तावित गतिविधि

पंचायत में महामारियों की रोकथाम।

जल–जनित और दिष्टम–जनित उत्पन्न रोगों की रोकथाम, विशेषकर पंचायतों में मलेरिया मुक्त स्थिति को प्राप्त करना।

क्षयरोग और एच.आई.वी. वाले लोगों के लिए प्रतिरक्षात्मक उपाय और सहयोग प्रदान करना।

कुत्ते और सांप के काटने से होने वाली मौतों को रोकना।

कैसे

महामारी को रोकने के लिए पर्यावरण स्वच्छता गतिविधियों का आयोजन (पूर्व मानसून और पूर्व गर्मियों में)।

ऐसे क्षेत्रों में स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन कर एवं लोगों की सहभागिता सुनिश्चित कर उनको जागरूक करना है (जे.ई., ए.ई.एस., डायरिया, मीज़ल्स आदि विषयों पर) (ग्राम प्रधान)।

स्वच्छता एवं सफाई को बनाए रखते हुए पर्यावरण प्रबंधन सुनिश्चित करना जिसके अंतर्गत गांव में ठोस एवं द्रव अवशिष्ट प्रबंधन के साथ मच्छरों पर नियंत्रण हेतु नई तकनीक का प्रयोग करते हुए हवा में छिड़काव/छोटे दाने आदि का प्रयोग करना।

एन.वी.बी.डी.सी.पी. और आई.डी.एस.पी. के अंतर्गत आँगनवाड़ी कार्यकर्ता और ए.एन.एम. की सहायता से स्थानीय क्षेत्र की पहचान एवं चित्रण (यदि पंचायत में कोई ऐसा क्षेत्र हो) जहां मलेरिया, फाइलेरिया, काला ज्वर, डेंगू, चिकनगुनिया, तीव्र एन्सेफ़लाइटिस सिण्ड्रोम (ए.ई.एस.) और जापानी एन्सेफ़लाइटिस (जे.ई.) प्रायः होते हों।

मस्तिष्क ज्वर (जे.ई.) टीकाकरण में सुधार – (जे.ई. प्रभावित क्षेत्रों में)।

कैसे

समुदायों में अभियान के माध्यम से उच्च जोखिम वाले समूहों के बीच लक्ष्य निर्धारण।

(पी.पी.टी.सी.टी.) कार्यक्रम के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं को एच.आई.वी. टेस्ट के लिए प्रोत्साहित करना और एच.आई.वी. + की स्थिति में माँ से बच्चे में एच.आई.वी. संक्रमण को रोकने के लिए nevirapine की उपलब्धता हेतु परामर्श देना।

यह सुनिश्चित करना कि टी.बी., एच.आई.वी. एवं कोढ़ से ग्रसित व्यक्ति किसी कलंक एवं विभेद के शिकार नहीं हो रहे हैं। यदि ऐसा है तो ग्राम सभा की बैठकों के दौरान चर्चा के माध्यम से अवगत कराएं (प्रधान)।

यदि वर्तमान में पंचायत में ऐसा कोई क्षेत्र है जहां जानवरों के काटने की घटनाएं ज्यादा होती हैं तो सामुदायिक शिक्षा का कार्यक्रम आयोजित करके उनको शिक्षित करें (इस प्रकार की घटनाओं को कम करने के लिए रोगी को तत्काल चिकित्सकीय सहायता उपलब्ध करने हेतु प्रबन्ध करें) (प्रधान)।

परामर्श और प्रोत्साहन के द्वारा लोगों की समन्वित परामर्श और परीक्षण केन्द्र (आई.सी.टी.सी.) और एच.आई.वी. हेतु ए.आर.टी. तक पहुंच सुनिश्चित करना।

एच.आई.वी./एड्स से ग्रसित व्यक्तियों की पोषण संबंधी देखभाल, सहयोग एवं समर्थन और उनको कौशल प्रशिक्षण एवं उद्यमशीलता में सहयोग के माध्यम से पुनर्वास की व्यवस्था करना।

यह सुनिश्चित करना कि टी.बी. एवं कोढ़ से ग्रसित व्यक्तियों को मुफ्त दवाएं एवं अन्य सुविधाएं आर.एन.टी.सी.पी. एवं एन.एल.ई. पी. के अंतर्गत मिल रही हैं।

पालतू कुत्तों के साथ आवारा कुत्तों के 100 प्रतिशत टीकाकरण की व्यवस्था टैगिंग (चिन्ह) के साथ सुनिश्चित करें (सचिव और प्रधान)।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (सी.एच.सी.) और जिला अस्पताल में एंटी–रेबीज़ वैक्सीन और एंटी–स्नेक ज़हर की उपलब्धता के बारे में लोगों को सूचित करें ताकि प्रभावित व्यक्तियों को मदद पाने में समय नहीं बेकार करना पड़े। (प्रधान एवं वार्ड मेम्बर)।

टार्गेट 3.4

वर्ष 2030 तक रोकथाम और उपचार के ज़रिए असंचारी रोगों से होने वाली अपरिपक्व मृत्यु दर में एक तिहाई की कमी करना और मानसिक स्वास्थ्य तथा सलामती को प्रोत्साहित करना।

टार्गेट 3.5

मादक औषधियों के दुरुपयोग और मदिरा के हानिकारक परिणामों सहित पदार्थों के दुरुपयोग की रोकथाम और उपचार को सुदृढ़ करना।

प्रस्तावित गतिविधि

समुदाय में असंक्रामक रोगों के कारण होने वाले पूर्व–परिपक्व मृत्यु पर जागरुकता को बढ़ावा देने के लिए निवेश को प्रोत्साहन प्रदान करें।

बच्चों और युवाओं को किसी भी प्रकार के पदार्थ का दुरुपयोग के विरोध के बारे में बातचीत करने के लिए उपयुक्त प्लेटफॉर्म बनाएं।

गांव में आयोडीन युक्त नमक के शत–प्रतिशत प्रयोग को सुनिश्चित करें।

अनीमिया नियंत्रण कार्यक्रम को सहयोग।

कैसे

'राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम' (आर.के.एस.के.) के तहत स्थापित किशोरों के अनुकूल स्वास्थ्य क्लिनिक (ए.एफ.एच.सी.) की सेवाओं को लोकप्रिय बनाएं जिसके तहत साप्ताहिक आयरन की गोली और फॉलिक एसिड की पूरकता और एल्बेण्डाज़ोल, सैनिटरी नैपकिन, गर्भ निरोधक और अन्य दवाएं प्रदान की जाएं।

विशेषज्ञों को विभिन्न प्रकार के पर्यावरणीय जोखिम कारकों के बारे में बातचीत करने के लिए विभिन्न समूहों, जैसे – किसान, महिला समूह, युवा आदि को आमंत्रित करें एवं घरेलू/व्यापक वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मिट्टी प्रदूषण/कृषि उत्पादों में कीटनाशकों के बढ़ते उपयोग के कारण दूषित भोजन आदि पर चर्चा करें।

स्वभाव संबंधी जोखिम पर समुदाय विशेष के लिए जागरुकता शिविर का आयोजन, विशेष कारक (शराब का सेवन, मोटापा, मधुमेह, शारीरिक निष्क्रियता, उच्च रक्तचाप, नमक का सेवन और तम्बाकू का उपयोग)।

सुनिश्चित करें कि विभिन्न प्लेटफॉर्मों, जैसे– विद्यालय, युवा समूह, गांव के त्योहारों और अन्य समारोह आदि का उपयोग करते हुए बच्चों और युवाओं में पान चबाने, तम्बाकू और धूम्रपान की आदत नहीं पड़े।

कैसे

यह सुनिश्चित करें कि ग्राम पंचायत में बिकने वाला नमक प्रचुर मात्रा में आयोडीन युक्त है।

सभी अवसरों का उपयोग करते हुए किशोरियों और महिलाओं से अनीमिया के बारे में बातचीत करें तथा यह सुनिश्चित करें कि ए.एन.एम. तथा आशा पात्र हितभागियों को बराबर परामर्श दें।

ए.एन.एम. को प्रोत्साहित करें कि शरीर से संबंधित जोखिम भरे कारकों (अधिक वज़न, मोटापा, उच्च रक्तचाप, मधुमेह, बढ़ा कोलेस्ट्रॉल/लिपिड) के प्रभाव पर वी.एच.एन.डी. की बैठक में समुदाय को जागरुकता प्रदान करें।

टार्गेट 3.7

वर्ष 2030 तक परिवार नियोजन सहित यौन और प्रजनन स्वास्थ्य देखभाल सेवा, सूचना और शिक्षा तक सबकी पहुंच सुनिश्चित करना तथा राष्ट्रीय रणनीतियों एवं कार्यक्रमों में प्रजनन स्वास्थ्य को शामिल करना।

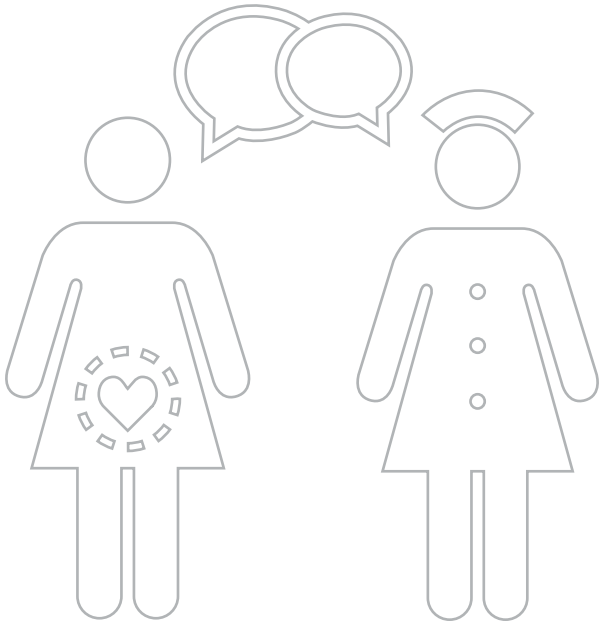

प्रस्तावित गतिविधि

ग्राम पंचायत में परिवार नियोजन को बढ़ावा देना।

परिवार नियोजन को बढ़ावा देने वाले कार्यक्रमों में पुरुषों की भागीदारी को प्रोत्साहित करें।

कैसे

सहयोग प्रदान कर ए.एन.एम./ए.डब्ल्यू.डब्ल्यू./ आशा द्वारा युवाओं को परामर्श देने के लिए समय सुनिश्चित करें जिसके अंतर्गत परिवार नियोजन के तरीकों एवं बच्चों की संख्या के बारे में जानकारी प्रदान करें।

सुनिश्चित करें कि समुदाय के सदस्यों दोनों – महिलाओं और पुरुषों को बच्चों के बीच अंतर रखने की विधियों के बारे में सूचित किया जाता है।

युवा जोड़ों को प्रसवोत्तर परिवार नियोजन की सेवाओं को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करें।

ग्राम सभा और अन्य अवसरों पर विशेष रूप से पुरुषों की सभा के दौरान छोटे परिवारों के फायदों (स्वास्थ्य, सामाजिक और आर्थिक परिप्रेक्ष्य में) के बारे में चर्चा करें।

क्लीनिकल आउटरीच टीमों (सी.ओ.टी.) की सेवाओं तक समुदाय के सदस्यों की पहुंच सुनिश्चित करें। सी.ओ.टी. के तहत प्रस्तुत की गई सेवाओं में शामिल हैं : (ए) ट्यूबेक्टोनॉमी–लैप्रोस्कोपिक या मिनी–लेप (बी) बिना चीर–फाड़ की नसबंदी (सी) आई.यू.सी.डी. प्रविष्टि और निवारण; (डी) आपातकालीन गर्भनिरोधक; (ई) ओरल गर्भनिरोधक गोलियां और कंडोम; (एफ) अनिवार्य अनुवर्ती और बांझपन का संप्रेषण; और (जी) प्रसवोत्तर परिवार नियोजन परामर्श (पी.पी.एफ़.पी.)।

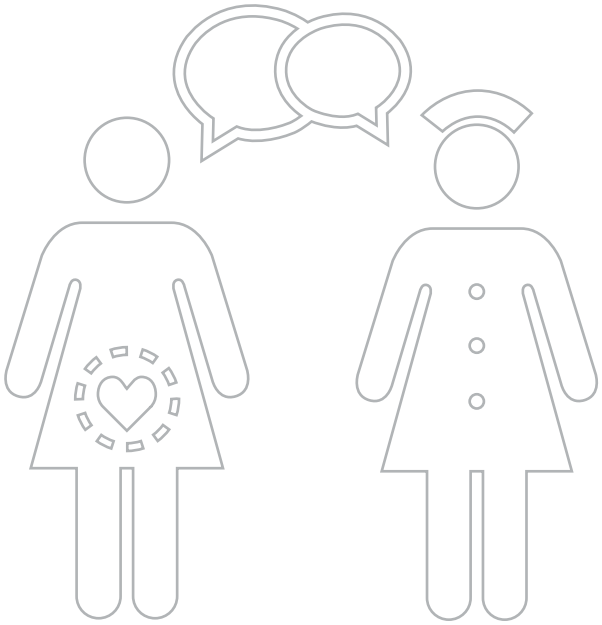

4 समावेशी और न्यायसंगत गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना और सभी के लिए आजीवन शिक्षा प्राप्ति के अवसरों को बढ़ावा देना

टार्गेट 4.1

यह सुनिश्चित करना कि वर्ष 2030 तक सभी लड़कियों और लड़कों द्वारा निःशुल्क, सामयिक और गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा पूरी की जाए ताकि शिक्षा प्राप्ति के सुसंगत और कारगर परिणाम प्राप्त हों।

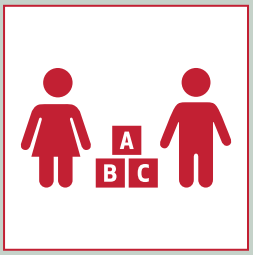

टार्गेट 4.2

यह सुनिश्चित करना कि वर्ष 2030 तक सभी लड़कियों और लड़कों को गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक बाल्यकाल विकास, देख-रेख और पूर्व-प्राथमिक शिक्षा सुलभ हो ताकि वे प्रारंभिक शिक्षा के लिए तैयार हो जाएं।

टार्गेट 4.5

शिक्षा में लैंगिक असमानताओं को वर्ष 2030 तक समाप्त करना तथा निःशक्त व्यक्तियों, देशी लोगों और असुरक्षित परिस्थितियों में रह रहे बच्चों सहित कमज़ोर लोगों की शिक्षा और व्यवसायिक प्रशिक्षण के सभी स्तरों तक समान रूप से पहुंच सुनिश्चित करना।

प्रस्तावित गतिविधि

प्राथमिक शिक्षा तथा आँगनवाड़ी देखभाल केन्द्र तक बच्चों की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए परिवार अनुसार नज़र रखना जिसमें विशेष तौर पर लड़कियों/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के बच्चों पर ध्यान केन्द्रित करना।

दोपहर के भोजन की नियमित एवं गुणवत्तापूर्ण व्यवस्था।

बच्चों के कुल नामांकन और प्रतिधारण के लिए माहौल का निर्माण।

ऐसे अधिकार तक पहुंच सुनिश्चित करने में सहायता करें जैसे कि छात्रवृत्ति/वेतनमान/वृत्ति, मुफ्त वर्दी, पाठ्य पुस्तक, बीमा, शिक्षण/शिक्षा सामग्री, स्टेशनरी, दोपहर के भोजन आदि (विशेषकर अनुसूचित जाति/जनजाति के विद्यार्थियों तक)।

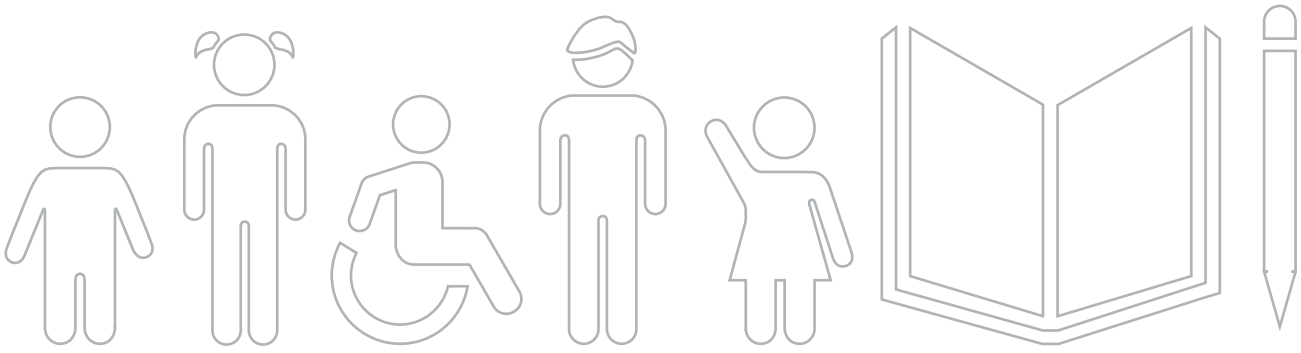

कैसे

वार्ड सदस्य, एस.एम.सी. सदस्यों के साथ मिल कर प्रत्येक घर में जाएं और यह सुनिश्चित करें कि प्रत्येक बच्चे को विद्यालय में उचित कक्षा में नामांकित किया गया है।

वार्ड सदस्य, एस.एम.सी. सदस्यों के साथ मिल कर निश्चित अवधि में घरों का भ्रमण कर यह सुनिश्चित करें कि माता–पिता अपने बच्चों को नियमित रूप से विद्यालय भेज रहे हैं।

हेडमास्टर के साथ बच्चों की उपस्थिति पर चर्चा करने के लिए विद्यालयों में साप्ताहिक भ्रमण करें।

वार्ड स्तर की बैठकों में विद्यालयों में प्रवेश से पहले माता–पिता के साथ नामांकन के बारे में चर्चा करें।

एस.एम.सी. की भागीदारी के साथ ग्राम पंचायत में बड़े पैमाने पर नामांकन अभियान का संचालन करें।

विद्यालय प्रबन्धक समिति के सदस्य प्रतिदिन शिक्षा समिति के सदस्य के साथ मिलकर दोपहर के भोजन की गुणवत्ता का निरीक्षण करें।

पंचायत के सदस्य विद्यालय प्रबंधन समिति की बैठक में भाग ले सकते हैं और शिक्षा के अधिकार और उससे संबंधित किसी चीज़ की कमी है तो इस मुद्दे को ब्लॉक स्तर पर शिक्षा अधिकारी के समक्ष उठा सकते हैं और उसके अनुसरण के लिए प्रधानाध्यापक को सहयोग कर सकते हैं।

प्रस्तावित गतिविधि

प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम में प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा (ई.सी.सी.ई.) के बीच संबंध स्थापित करना।

लड़कियों के लिए जहां मौजूद नहीं हैं वहां शौचालयों का निर्माण और बेकार पड़े निष्क्रिय शौचालयों को सक्रिय बनाना।

बच्चों को आकर्षित करने और विद्यालय में बनाए रखने के लिए सीखने के आनंदपूर्ण अनुभव के माध्यम से जिसमें सांस्कृतिक गतिविधियां, प्रदर्शनी, बहुआयामी प्रयोग, खेल का रास्ता, आई.सी.टी. और अन्य चुनौतीपूर्ण गतिविधियां शामिल हों और इसके लिए सी.आर.सी. और बी.आर.सी. के साथ मिल कर काम करें।

विशेष ज़रुरतों वाले बच्चों को विद्यालय/विशेष विद्यालय पहुंचने में सहायता करना।

प्रत्येक विद्यालय/पंचायत में प्रतिपालकों का मंच बनाना जिसमें (वार्ड सदस्य/शिक्षक/एस.एम.सी. सदस्य/विशेषज्ञ/गैर सरकारी संगठन/छात्र सलाहकार आदि) जो बच्चों के विद्यालय छोड़ने वाले और अनियमित उपस्थिति के कारणों का विश्लेषण करे और उन्हें विद्यालयों में वापस लाने के लिए संभावित समाधान तैयार करें।

विद्यालय छोड़ने वाले बच्चों/बाहर के बच्चों के लिए सेतु पाठ्यक्रम उपलब्ध कराने के लिए सायंकालीन विद्यालय, मोबाइल विद्यालयों/स्थानीय शिक्षण केन्द्र और आवासीय कैम्प का संचालन करें।

बड़े पैमाने पर अभियान के माध्यम से विद्यालयों में शिक्षा के लिए तथा डोर–टू–डोर संपर्क अभियान, जिसमें बच्चों का नामांकन तथा विद्यालय में रुकने की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिले, व आयोजित किया जा सकता है।

बच्चे जो पढ़ाई/खेल/क्रीड़ा में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हों उनको प्रोत्साहित करने के लिए लोगों के बीच प्रमाण पत्र/उपहार/प्रशस्ति पत्र के माध्यम से उनकी उपलब्धियों को पहचान दें।

बालकों के साथ होने वाले दुर्व्यवहार को रोकने के लिए सहायता करें।

पी.एच.सी./स्वास्थ्य कार्यकर्ता/समुदाय की सहायता से (पूर्व–प्राथमिक विद्यालयों/आँगनवाड़ी केन्द्रों में क्लीनिक/स्वास्थ्य जांच कार्यक्रमों को व्यवस्थित करें।

कैसे

पंचायत स्तर की बैठकों के दौरान विद्यालय और आँगनवाड़ी केन्द्र के कामकाज पर चर्चा के लिए आँगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ–साथ विद्यालय के शिक्षकों को भी आमंत्रित कर शामिल करना।

विशेष सहायता की आवश्यकता वाले बच्चों की वार्ड वार पहचान सुनिश्चित करें तथा विद्यालयों में उनके प्रवेश और शिक्षा के अधिकारों तक पहुंच सुनिश्चित करने में सहायता करें।

धन का उपयोग कर विद्यालय भवन तक बच्चों की आसानी से पहुंच सुनिश्चित करने के लिए रैम्प का निर्माण करें।

भौगोलिक दृष्टि से अलग–अलग क्षेत्रों में रह रहे बच्चों के लिए परिवहन/हॉस्टल की सुविधाओं को प्राप्त करने में सहायता प्रदान करें (विशेष आवश्यकता वाले बच्चों सहित)।

'स्वच्छ भारत मिशन' से धन का उपयोग कर विद्यालयों में लड़कियों और लड़कों के लिए अलग–अलग शौचालयों का निर्माण सुनिश्चित किया जा सके।

सुनिश्चित करें कि शौचालय की हर दिन सफाई के लिए व्यवस्था हो और यदि नहीं तो यह सुनिश्चित करें कि सफाई कर्मचारी नियमित कार्य करता हो।

प्रधानाचार्य और अन्य शिक्षकों के साथ मिलकर उन बच्चों की सूची तैयार करे जो नामांकित नहीं हैं अथवा रोज़ विद्यालय नहीं जाते या किसी कक्षा से ड्रॉप आउट हैं। ऐसे बच्चों के संरक्षकों को चिन्हित कर वार्ड वार बैठक करें तथा विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्यों के साथ मिलकर ऐसे परिवारों में जाएं।

शिक्षकों, वार्ड सदस्यों और एस.एम.सी. सदस्यों द्वारा विद्यालय समुदाय से स्वस्थ रिश्ते, विद्यालय में बच्चों का प्रतिधारण सुनिश्चित करने के घरों का मैत्रीपूर्ण दौरा।

प्रधान के सहयोग से विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्य विद्यालयों में पर्याप्त मात्र में शिक्षकों की उपलब्धता हेतु प्रार्थना पत्र तैयार करें।

संरक्षकों को प्रेरित करें कि वे विद्यालय के कार्यों एवं गतिविधियों में सहभागिता करें।

शाम को पढ़ाने के लिए युवा या कॉलेज जाने वाले युवाओं की वार्ड वार पहचान करें जो कक्षाओं में साप्ताहिक आधार पर अन्य विद्यालय जाने वाले बच्चों का उनके अध्ययन में सहयोग करें।

समुदाय के सदस्यों को इस बात के लिए प्रेरित करें कि विद्यालय के कार्यक्रमों एवं गतिविधियों में दानी अथवा प्रायोजक बन कर प्रमाणपत्रों का वितरण करें।

विद्यालय में नामांकन के लिए चलाए जा रहे वार्षिक अभियान में विद्यालय प्रबंधन समिति तथा शिक्षकों का सहयोग करें।

पंचायत के एक सदस्य द्वारा प्रतिदिन विद्यालय में जाकर शिक्षकों से बातचीत कर यह पता लगाना कि किसी बच्चे के साथ घर अथवा विद्यालय में दुर्व्यवहार तो नहीं हो रहा है।

ऐसे संगठनों की सहायता करना जो विद्यालय एवं आँगनवाड़ी केन्द्रों पर स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन करते हैं तथा यह सुनिश्चित करना कि ए.एन.एम. एवं आशा उपस्थित होकर आर. बी.एस.के. के अनुसार अपने दायित्वों का निर्वाह करें।

टार्गेट 4.3

वर्ष 2030 तक सभी महिलाओं और पुरुषों के लिए विश्वविद्यालय सहित किफायती और गुणवत्तापूर्ण तकनीकी, व्यवसायिक और तृतीयक शिक्षा की समान रूप से सुलभता सुनिश्चित करना।

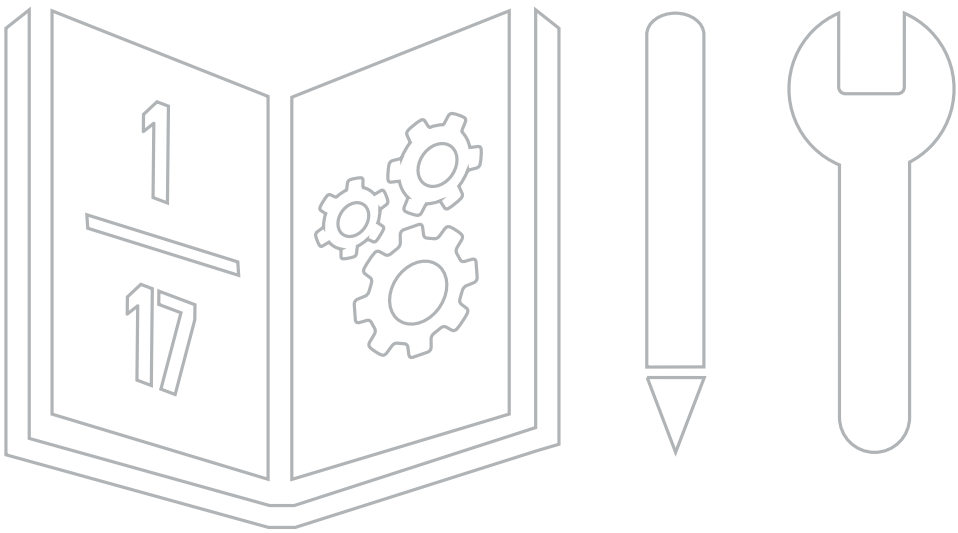

प्रस्तावित गतिविधि

तकनीकी/व्यवसायिक संस्थानों/महाविद्यालयों/उच्च शिक्षा संस्थानों/दूरस्थ शिक्षा केन्द्रों का ब्लॉक/जिला/समीप के ज़िलों का मानचित्रण और ऐसी संस्थाओं में उपलब्ध पाठ्यक्रमों को सूचीबद्ध करना।

कैसे

पंचायत के सदस्य विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्यों तथा विद्यालय शिक्षकों के साथ मिलकर पंचायत के आस–पास स्थित उच्च शिक्षण संस्थानों की सूची बना कर पंचायत सचिव तथा विद्यालयों में रखें जिससे कि, विद्यालीय शिक्षा समाप्त होने पर तमाम प्रकार के उपलब्ध विकल्पों से परिचित हों।

टार्गेट 4.4

वर्ष 2030 तक रोज़गार, उचित कार्यों एवं उद्यमिता - उद्यमिता के विकास हेतु तकनीकी और व्यवसायिक कौशलों सहित सुसंगत कौशल से सम्पन्न युवाओं और वयस्कों की संख्या में वृद्धि करना।

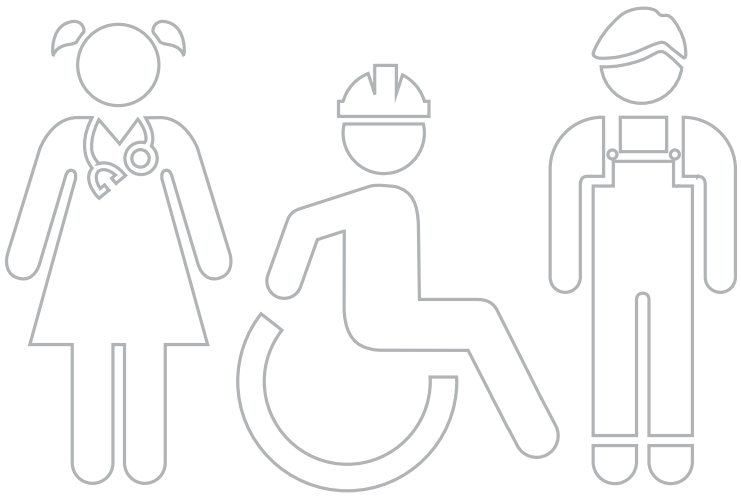

प्रस्तावित गतिविधि

जन जागरुकता हेतु कार्यक्रमों का आयोजन।

सूचना केन्द्र या हेल्प डेस्क के माध्यम से बेरोज़गार युवाओं एवं वयस्क लोगों की सूची तैयार करें, जिसके अंदर अलग–अलग क्षेत्रों में उनकी व्यवसायिक कार्य कुशलता व वर्तमान में वे कहाँ/क्या हैं, की सूचनाएं संकलित हों।

कैसे

ग्राम पंचायत की बैठक में 'कौशल विकास मिशन' और 'आजीविका मिशन' के ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों को बुला कर प्रशिक्षण, अवसर, ऋण प्रबंधन आदि पर युवाओं को जानकारी प्रदान कर सकती हैं।

युवाओं को ब्लॉक स्तरीय व्यवसायिक कौशल प्रशिक्षण में भाग लेने हेतु प्रोत्साहित करें।

प्रधान विद्यालय आधारित कैरियर मार्गदर्शन कार्यक्रमों में माध्यमिक विद्यालय के बच्चों तथा युवा लोगों के बीच एक उपकरण के रूप में व्यवसायिक जागरुकता को बढ़ाने के लिए सहायता प्रदान कर सकते हैं।

वार्ड वार युवाओं की सूची, उनके कौशल तथा रोज़गार की स्थिति के साथ तैयार करें तथा 'कौशल विकास मिशन' के साथ साझा करें।

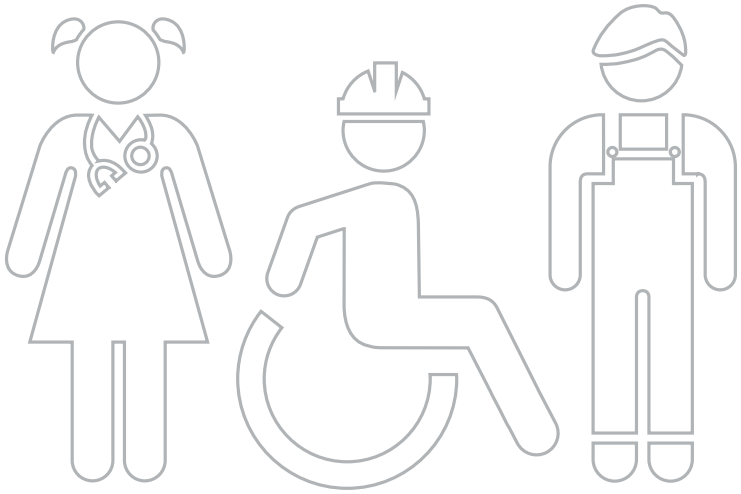

टार्गेट 4.6

वर्ष 2030 तक यह सुनिश्चित करना कि सभी युवाओं, पुरुषों और महिलाओं सहित अधिकतर वयस्कों द्वारा साक्षरता और संख्या ज्ञान हासिल कर लिया जाए।

प्रस्तावित गतिविधि

'सम्पूर्ण साक्षरता अभियान' (टी.एल.सी.) को इस दृष्टिकोण से अपनाना कि वयस्क निरक्षरता का उन्मूलन हो।

कैसे

- पंचायत सदस्य प्रेरक के साथ मिलकर वार्ड वार वयस्क लोगों के लिए साक्षरता कक्षा का संचालन कर सकते हैं।
- Mass mobilization के द्वारा गैर–साक्षर लोगों के बीच में साक्षरता की मांग पैदा करना।
- साक्षरता के एक विशिष्ट स्तर को प्राप्त करने के उद्देश्य हेतु निर्देशन सीखने के लिए शिक्षा विभाग से संबंधित शिक्षण सामग्री प्राप्त करते हुए उसका वितरण किया जाए।
- मौजूदा पुस्तकालयों को सशक्त कर साक्षरता कार्यक्रम का समर्थन करना।

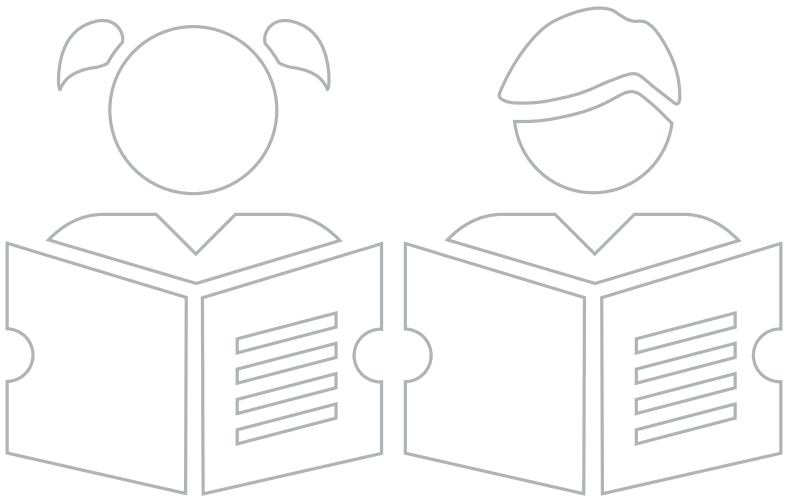

5 लैंगिक समानता हासिल करना और महिलाओं तथा बालिकाओं का सशक्तिकरण करना

टार्गेट 5.1

सभी जगह से सभी महिलाओं और बालिकाओं के विरुद्ध सभी प्रकार के भेदभावों का अंत करना।

टार्गेट 5.2

सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में सभी महिलाओं और बालिकाओं के विरुद्ध सभी प्रकार की हिंसा का अंत करना जिसमें ट्रैफ़िकिंग, यौन हिंसा तथा अन्य प्रकार के शोषण भी शामिल हैं।

टार्गेट 5.3

सभी हानिकारक प्रथाओं जैसे कि बाल विवाह, समय पूर्व विवाह और ज़बरदस्ती और महिला जननांग विकृतियों का अन्त करना।

प्रस्तावित गतिविधि

सुनिश्चित करें कि ग्राम पंचायत स्तर पर लड़कियों और महिलाओं के संवैधानिक अधिकार और कानूनी प्रावधान जिसके अंतर्गत समानता और भागीदारी के अधिकार का पालन हो रहा है।

बाल लिंग अनुपात की घटते दर के मुद्दे पर चर्चा करें।

कैसे

सभी वार्ड सदस्यों को जहां भी अल्ट्रासाउण्ड की सुविधा उपलब्ध है, सतर्क रह कर यह देखना है कि उस क्षेत्र में कोई चयनात्मक गर्भपात नहीं होता है (जो पी.एन.डी.टी. अधिनियम के अनुसार अवैध है)।

पंचायतों द्वारा लडकियों के जन्म के अवसर पर नामकरण संस्कार का अर्धवार्षिक या त्रैमासिक आयोजन किया जाना चाहिए।

लिंग समानता और लड़की के महत्व के मुद्दों पर खुली बैठकों का आयोजन कर लड़की के जन्म का जश्न मनाने के लिए परिवारों को प्रोत्साहित करें।

उन परिवारों को पुरस्कार एवं मान्यता मिलनी चाहिए जिन्होंने दो बच्चों के बाद परिवार नियोजन की विधियों को अपनाया है।

प्रस्तावित गतिविधि

लड़कियों की शिक्षा के मुद्दे पर चर्चा करें।

बाल संरक्षण, बाल विवाह एवं इनके देह व्यापार पर चर्चा करें।

घरेलू हिंसा के मुद्दे पर चर्चा करें।

महिलाओं को नेतृत्व एवं राजनीतिक भागीदारी हेतु प्रोत्साहित करें।

मार्च के महीने में महिला ग्राम सभा का आयोजन करें।

कैसे

वार्ड के और एस.एम.सी. के सदस्यों को सतर्क रहते हुए 45 से अधिक दिनों के लिए विद्यालय से अनुपस्थित होने वाली लड़कियों के शिक्षा के अधिकार अधिनियम, 2009 के अनुसरण में उनका पुनः नामांकन कराने के लिए प्रयास करें।

यदि वहां विद्यालय छोड़ने वाली लड़कियां हैं तो उन्हें नामांकन कराने के लिए लड़की और उसके परिवार को सलाह दीजिए। लड़कियों के विद्यालय छोड़ने या उच्च शिक्षा जारी नहीं रखने के लिए प्रमुख कारणों का पता लगाएं।

विद्यालय ड्रॉप–आउट लड़कियों के प्रमुख कारणों के समाधान के लिए अभिनव और स्थानीय समाधानों की कोशिश करें। अगर विद्यालय दूरी एक मुद्दा है तो साईकिल पुलिंग को बढ़ावा दें, विद्यालय में आने के दौरान अगर सुरक्षा एक समस्या है तो लड़कों के स्पॉट या समूह, जो लड़कियों को परेशान करते हैं, की पहचान करना। यदि भाई की देखभाल लडकियों को विद्यालय में भाग लेने से रोकती है, तो मिनी आँगनवाड़ी केन्द्र या मनरेगा के अंतर्गत क्रेच का विकल्प एक भाग के रूप में तलाशें या ग्राम पंचायत की लड़कियों को उच्चतर शिक्षा लेने और विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ लेने के लिए प्रोत्साहित करें।

लड़कियों के लिए माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में जहां जाने के लिए सड़क/आवागमन सुविधाएं ठीक नहीं हैं वहां साईकिल की व्यवस्था या सुविधाजनक सार्वजनिक वाहन की सुविधा प्रदान करें।

एकीकृत बाल संरक्षण सेवा के अनुसरण में बाल संरक्षण समिति को सक्रिय करें। लड़कियों के बीच में हेल्पलाइन नं. 1090 को लोकप्रिय बनाएं।

बच्चों के साथ यौन दुर्व्यवहार क्या होता है, इस बारे में गांवों में संवेदीकरण सत्र का आयोजन करें तथा यह बताएं कि बच्चों के संरक्षण से संबंधित यौन अपराध अधिनियम, 2012 से इसे कैसे जोड़ा जा सकता है।

ग्राम सभा की बैठक के दौरान बाल विवाह के मुद्दे पर चर्चा करें और दहेज तथा लड़कियों की सुरक्षा से संबंधित मुद्दों के प्रति समुदाय के सदस्यों का ध्यान आकर्षित करें।

18 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों का जन्म के प्रमाण पत्र निर्गत करें (RBD act 1969)।

विवाह संबंधी निगरानी रखने के लिए 18 वर्ष से कम उम्र की सभी लड़कियों का रिकॉर्ड रखें।

'साक्षरता मिशन' के अंतर्गत किशोरियों एवं महिलाओं के समूह का गठन।

बाल विवाह पर जागरुकता हेतु नरेगा समूह के श्रमिक एवं किसान समूह को जोड़ें।

बाल विवाह के मुद्दे पर जन प्रतिनिधियों को संवेदित कर बाल विवाह को अपने अपने क्षेत्रों में संरक्षण प्रदान करने की बजाय निरुत्साहित करने पर ज़ोर दें।

आर्थिक रूप से आत्मनिर्भरता हेतु युवा लड़कियों के लिए उद्यमिता विकास जैसी गतिविधियों को प्रोत्साहन और समर्थन प्रदान करें।

सुनिश्चित करें कि सभी विवाह, मृत्यु एवं विवाह पंजीयन अधिनियम 2008 के अनुसार पंजीकृत हों।

बाज़ार से जुड़े कौशल प्रशिक्षण के आयोजन के लिए कौशल केन्द्रों से संपर्क करें। लड़कियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करें।

कैसे

लड़कियों और महिलाओं को महिला समाख्या, एस.एच.जी. जैसे मंचों के माध्यम से सामुदायिक सहायता प्रणाली को बढ़ावा देना।

अगर किसी पण्डित या मौलवी द्वारा इस प्रकार के समारोह का आयोजन किया जाता है, तो सभी वार्ड मेम्बर हस्तक्षेप के द्वारा बाल विवाह को रोकें (बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006)।

घरेलू हिंसा के मुद्दे पर ग्राम सभा की बैठक में चर्चा करें। समुदाय के लोगों को इस प्रकार के मामलों की रिपोर्ट करने को कहें।

ऐसे सामाजिक प्रतिबन्ध की शुरुआत करें, जो पुरुषों को घरेलू हिंसा करने से रोकते हैं और उनको घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 पर संवेदित करें।

स्थानीय पुलिस प्रशासन के सहयोग से आपराधिक न्याय प्रणाली तक महिलाओं की पहुंच सुनिश्चित करें।

यह सुनिश्चित करें कि सभी पात्र महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा योजना का लाभ मिले।

ग्राम पंचायत विकास योजना के पहले महिलाओं एवं लड़कियों के मुद्दे पर विशेष ग्राम सभा की बैठक का आयोजन।

73वें संविधान संशोधन के अनुसार, चयनित महिलाओं को अपने वार्ड एवं स्थायी समितियों में नेतृत्व करने की भूमिका में लाने के लिए सहयोग एवं सुविधा प्रदान करें।

जीवन कौशल को प्रोत्साहित करें। ऐसा व्यवसायिक प्रशिक्षण जो सशक्त नियोक्ता से जुड़ा हुआ हो।

मध्यस्थता के द्वारा घरेलू हिंसा से संबंधित मुद्दों को हल करें।

घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के तहत महिला समूह को ऐसे मामलों में हस्तक्षेप करने लिए सहयोग प्रदान करें।

यौन हिंसा/महिला हिंसा से संबंधित मुद्दों के लिए आशा ज्योति केन्द्र को लोकप्रिय बनाएं।

विभिन्न योजनाओं के माध्यम से महिलाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करें।

महिलाओं के नेतृत्व वाले परिवारों/विधवाओं/पृथक/त्यक्त महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लिए प्राथमिकता दें।

महिला समूह के अच्छे कार्यों को मान्यता दें तथा अच्छी महिला नेता को गाँव स्तर पर पहचान दें।

विभिन्न योजनाओं के माध्यम से महिलाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करें।

टार्गेट 5.4

जन सेवाओं, अवसंरचना और सामाजिक सुरक्षा नीतियों के प्रावधान के माध्यम से अवैतनिक देखभाल और घरेलू कार्य का सम्मान, गृहस्थी एवं परिवार में साझे उत्तरदायित्व को राष्ट्रीय स्तर पर उचित रूप से बढ़ावा देना।

टार्गेट 5.5

राजनीतिक, आर्थिक और लोक जीवन में निर्णय लेने के सभी स्तरों पर महिलाओं के लिए नेतृत्व के समान अवसर तक पूर्ण और कारगर सहभागिता सुनिश्चित करना।

प्रस्तावित गतिविधि

सभी सार्वजनिक संस्थानों एवं जगहों में लिंग–संवेदनशील आधारित आधारभूत संरचना एवं सेवाएँ सुनिश्चित करें जहाँ बालकों की देखभाल के साथ महिला अपने काम को ठीक से कर सके।

पुरुषों को जो युवाओं की देखभाल, बुजुर्ग और घरेलू कामों से संबंधित अपनी भूमिकाओं को सही से निभा रहे हैं, उनको मान्यता एवं प्रोत्साहन प्रदान करना।

समुदाय के सदस्यों को संवेदनशील बनाने के लिए मंच और कार्यक्रमों का आयोजन, जिसमें (गांव के वृद्ध, दोनों पुरुषों, महिलाओं और युवाओं) लड़कियों और महिलाओं द्वारा शिशुओं और बुजुर्ग व्यक्तियों की अवैतनिक देखभाल भी हो।

महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देना।

कैसे

ग्राम पंचायत स्तर पर आयोजित महिला दिवस/मातृ दिवस पर महिलाओं के योगदान को मान्यता एवं पुरस्कार दिया जाए।

जो व्यक्ति विशेषकर युवाओं, बुजुर्गों एवं घर के कामों के प्रति अपने दायित्व का निर्वहन ठीक से करते हैं, उनसे बातचीत एवं प्रोत्साहन के माध्यम से विभिन्न समूहों, जैसे – किसान समूह स्थायी समितियों आदि की बैठकों को साझा करने के लिए प्रेरित करें।

पंचायत के क्षेत्राधिकार में आने वाले सभी सार्वजनिक संस्थानों और जगहों के तहत अनिवार्य प्रावधान सुनिश्चित करें एवं इसके लिए धन का प्रबंधन संबंधित क्षेत्रों, ग्राम पंचायत विकास योजना या निजी योगदान से करें।

इसके अंतर्गत प्रत्येक कार्य स्थल पर क्रेच, जैसे – बाज़ार, निर्माण स्थल, चिमनी, कृषि क्षेत्र और कार्यालय आदि पर स्तनपान सुविधा, महिला शौचालय, सैनिटरी नैपकीन, कूड़ेदान के साथ वी.एच.एन.डी. के आयोजन, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, उपकेन्द्र, पी.एच.सी., लेबर रूम आदि में गोपनीयता की व्यवस्था।

यदि संभव हो तो गैर सरकारी संगठन, निजी क्षेत्र के साथ सहभागिता कर बच्चों, वृद्ध, एवं कमज़ोरों की देखभाल हेतु गुणवत्तापूर्ण, सस्ती एवं सुलभ सेवाएँ उपलब्ध हो सकें।

लिंग के अनुकूल और अधिक कार्यों की पहचान के द्वारा मनरेगा में महिलाओं के काम–काज में वृद्धि।

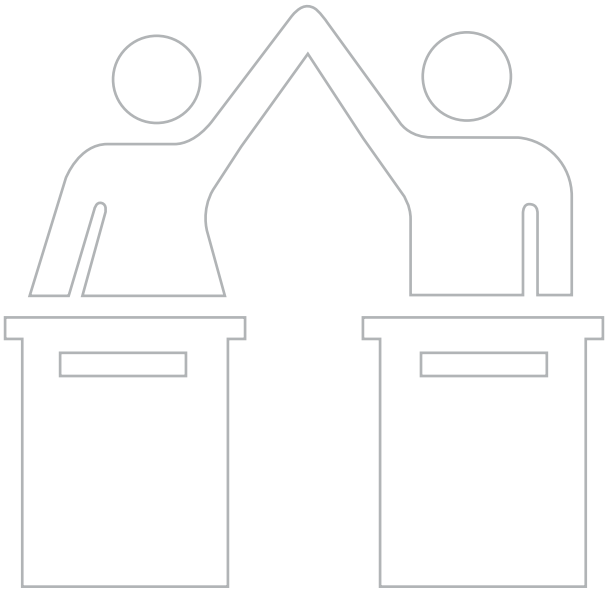

जिला कौशल केन्द्र के साथ मिलकर महिलाओं के लिए कौशल प्रशिक्षण का आयोजन।

महिलाओं की घिसी–पिटी छवि को तोड़ने वाले गैर–पारंपरिक कौशल क्षेत्र में महिलाओं के प्रशिक्षण और उद्यमशीलता को बढ़ावा देना।

ग्राम पंचायत विकास योजना के पहले महिलाओं एवं लड़कियों के मुद्दे पर विशेष ग्राम सभा की बैठक का आयोजन।

महिला नेतृत्व को गांव स्तर पर मान्यता एवं पुरस्कार। स्थायी समितियों में महिला नेतृत्व को बढ़ावा देना।

गांवों में महिलाओं के समूहों और एस.आर.एल.एम. के काम–काज में सहायता करें और उनके लिए जगह एवं लॉजिस्टिक व्यवस्था में सहयोग करें।

यह सुनिश्चित करना कि आधारभूत संरचना एवं बुनियादी सुविधाओं से संबंधित विषयों पर निर्णय निर्माण मंच पर निर्णय लेते वक्त उनसे संपर्क तथा उनका संज्ञान लिया गया है।

विशेष योजनाओं एवं कार्यक्रमों में महिलाओं के निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ावा देना।

बैंकों के साथ मिलकर महिला सदस्यों के लिए वित्तीय साक्षरता का आयोजन।

ध्यान से समान पारिश्रमिक अधिनियम की निगरानी करें तथा यह सुनिश्चित करें कि असंगठित क्षेत्र की महिलाओं का हित संरक्षित है।

महिला समूहों और महिला सदस्यों के लिए बैंक लिंकेज की सुविधा में सहयोग।

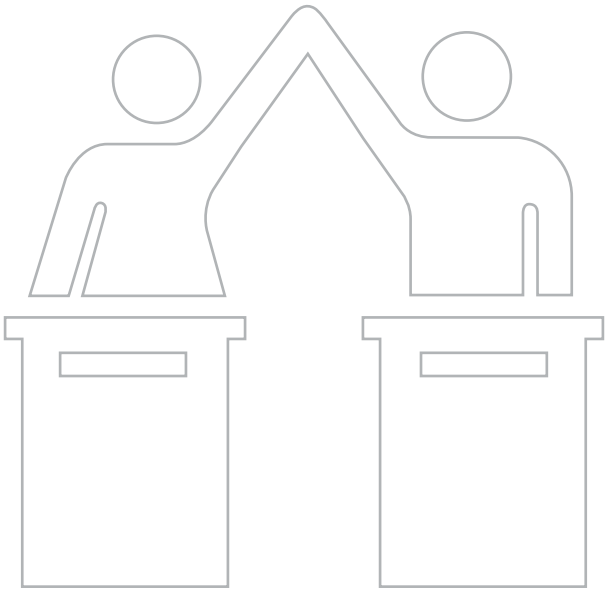

6 सभी के लिए जल और स्वच्छता की उपलब्धता तथा सतत् प्रबंधन सुनिश्चित करना

टार्गेट 6.1

वर्ष 2030 तक सभी के लिए सुरक्षित और किफायती पेयजल की सर्वव्यापक और न्यायसंगत पहुंच सुनिश्चित करना।

प्रस्तावित गतिविधि

ग्राम पंचायत में सभी परिवारों के लिए सुरक्षित एवं पर्याप्त मात्रा में पेयजल (24X7) उपलब्ध हो।

यह सुनिश्चित करें कि विद्यालय एवं आँगनवाड़ी केन्द्रों में सुरक्षित पेयजल की उपलब्धता सुगम हो।

कैसे

पंचायत वी.एच.एस.एन.सी. के सदस्यों के साथ मिलकर गाँव में निहित जल केन्द्रों को चिन्हित करें और यह भी देखें कि प्रत्येक जल केन्द्र पर कितने परिवारों की निर्भरता है।

गांव में पेयजल के सभी स्रोतों की गुणवत्ता की जांच के लिए प्रधान द्वारा आगे बढ़ कर जल निगम के सहायक इंजीनियर (ब्लॉक स्तर) को बुला कर परीक्षण कराएं और पंचायत द्वारा सुरक्षित पेयजल को चिन्हित करें, जिससे लोग सुरक्षित पेयजल का इस्तेमाल पीने के लिए तथा अन्य कार्यों के लिए दूषित जल का प्रयोग करें।

ग्राम पंचायत की बैठक या अभियान के माध्यम से सुरक्षित पेयजल के स्रोतों के बारे में जागरुकता पैदा करने के लिए ब्लॉक स्तर कार्यालय से आई.ई.सी. सामग्री लेकर गांव के महत्वपूर्ण स्थलों (पंचायत भवन, विद्यालय, पी.डी.एस. की दुकान) पर लगाएं।

अगर ग्राम पंचायत में पीने के पानी की पेय शुल्क आपूर्ति पाइप लाइन के द्वारा हो रही है, तो छूटे परिवारों को जुड़ने के लिए प्रेरित करें तथा यह सुनिश्चित करें कि प्रत्येक परिवार को बिना भेदभाव (जाति, धर्म, प्रस्थिति) के पेयजल पहुंचे।

प्रत्येक वार्ड के मेम्बर की यह ज़िम्मेदारी हो कि उपभोक्ता शुल्क जमा करे, जिससे कि प्रत्येक परिवार को निर्विघ्न रूप से पानी की आपूर्ति बनी रहे।

पंचायत में स्वच्छता अभियान संचालन करें। साथ ही, सभी सदस्यों/जल उपयोगकर्ताओं को पानी के स्रोतों के आस–पास स्वच्छता बनाए रखने के लिए प्रेरित करें।

यदि गाँव में कोई नई योजना आती है तो पंचायत प्राथमिकता आधारित क्षेत्रों की सूची के आधार पर स्थान (पारिस्थितिक विश्लेषण) का चयन पहले करे, विद्यालय और आँगनवाड़ी केन्द्र को हमेशा प्राथमिकता देना चाहिए।

हैण्ड पम्प के प्रभारी व्यक्ति का संपर्क विवरण सार्वजनिक रखें, ताकि लोग अपनी आवश्यकता के अनुसार संपर्क कर सकें।

टार्गेट 6.2

वर्ष 2030 तक महिलाओं, बालिकाओं तथा असुरक्षित परिस्थितियों में रह रहे लोगों की ज़रुरतों की ओर विशेष ध्यान देते हुए सभी के लिए पर्याप्त और न्यायसंगत स्वच्छता और सफ़ाई की पहुंच सुनिश्चित करना और खुले में शौच की प्रथा को समाप्त करना।

प्रस्तावित गतिविधि

ग्राम पंचायत में और आस–पास खुले में शौच का अंत। सभी परिवारों तथा संस्थानों में शौचालय का प्रावधान सुनिश्चित करें –

1. हितभागियों की पहचान
2. ज़रुरत आधारित संवेदनशीलता सुनिश्चित करना
3. उपयुक्त प्रौद्योगिकी विकल्पों को सुनिश्चित करना
4. शौचालय का उपयोग और रख–रखाव सुनिश्चित करना

ठोस एवं द्रव अपशिष्ट का प्रबंधन

1. ठोस अपशिष्ट के स्रोत पर पृथक्करण को बढ़ावा देना
2. उपयुक्त प्रौद्योगिकी विकल्प सुनिश्चित करना तथा परिवार/पड़ोस स्तर पर अपशिष्ट के अवक्रमण के प्रबंधन की सुविधा प्रदान करना
3. गैर–अवशिष्ट अपशिष्ट का संग्रहण के लिए सामुदायिक सुविधा स्थापित करना

स्वच्छता को बढ़ावा देना

कैसे

पंचायत वार्ड मेम्बर के साथ मिलकर ऐसे परिवारों की सूची तैयार कर सकते हैं, जो शौचालय विहीन हैं।

'स्वच्छता अभियान' की शुरुआत विद्यालयी बच्चों, एस.एम.सी. सदस्यों व अध्यापकों के साथ मिलकर करें, और शौचालय के उपयोग से होने वाले फायदों के बारे में बताए।

युवाओं एवं इच्छुक सदस्यों से निगरानी समिति का गठन करें जो इस बात की चौकसी करें कि कौन लोग शौच के लिए बाहर जा रहे हैं।

पंचायत सदस्य इस बात का निरीक्षण करें कि शौचालय का निर्माण मानकों के अनुसार हो रहा है या नहीं और लोगों (दिव्यांगों सहित) के प्रयोग के लिए आसानी से उपलब्ध है या नहीं।

पंचायत में ठोस एवं द्रव अपशिष्ट के प्रबंधन के लिए समिति की स्थापना।

उपयोगकर्ता प्रभार लेना (ग्राम सभा की बैठक के दौरान परस्पर सहमति) जिससे सामुदायिक कार्रवाई के द्वारा पारिवारिक स्तर पर जवाबदेही और ज़िम्मेदारी की भावना पैदा की जा सके।

उपरोक्त सूची को ए.डी.ओ. पंचायत के साथ साझा करें, जिससे कि 'स्वच्छ भारत मिशन' के वित्तीय सहयोग से शौचालयों का निर्माण हो सके।

पंचायत सदस्य संचार सामग्री को इकट्ठा कर लोगों की जागरुकता एवं गतिशीलता के लिए जगह–जगह प्रदर्शित करें, जिससे लोग अपने–अपने घरों में शौचालय के निर्माण के लिए प्रेरित हों।

यह सुनिश्चित करें कि एस.बी.एम. फण्ड का उपयोग करके लड़के तथा लड़कियों के लिए अलग–अलग शौचालयों का निर्माण तथा आँगनवाड़ी केन्द्रों पर बाल मैत्री शौचालय का निर्माण हो, एस.एम.सी. सदस्यों के साथ मिलकर प्राध्यापक शौचालयों का निरीक्षण करें तथा बच्चों को निरंतर उपयोग एवं सफाई के लिए प्रेरित करें।

पंचायत, स्वयं सहायता समूह को गतिशील कर लोगों को शौचालय निर्माण हेतु प्रेरित कर सकती है और लोग परिवारों में स्वच्छता व्यवहार का पालन कर रहे है कि नहीं, इसका निरीक्षण एवं निगरानी कर सकती है।

सरकारी लाइन विभाग, जैसे– पी.आर.डी. (ए.डी.ओ.) के साथ मिलकर ब्लॉक स्तर पर स्थानीय एजेंसी के अनुबन्ध और प्रबंधन के लिए पी.आर.डी. स्तर पर उपलब्ध एस.एल.डब्ल्यू.एम. फण्ड का विकेन्द्रीकृत लाभ उठाने के लिए समन्वय करना।

उर्वरक तैयार करने के लिए कचरे का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करें – इसके लिए कृषि विभाग के न्याय पंचायत स्तर के कार्यकर्ता/तकनीकी सहायक को आमंत्रित करें और सहायता करें।

कैसे

जन अभियान के द्वारा लोगों में जागरुकता पैदा करना जिससे कि लोग ठोस अपशिष्ट प्रबंधन परिणाम के प्रति जागरूक हों तथा ऐसे व्यवहार को अपनाएं जिससे लोग अपशिष्ट कम पैदा करें।

दो स्वयंसेवकों की भर्ती (प्रोत्साहन राशि के साथ) या आशा और आँगनवाड़ी कार्यकर्ता सेवाओं का उपयोग कर स्वच्छता को बढ़ावा देना, जैसे– साबुन से हाथ धोना, बच्चे के मल का निपटान आदि।

पर्यावरण स्वच्छता और भोजन स्वच्छता हेतु गृह भ्रमण का आयोजन करें। इसके लिए फण्ड की व्यवस्था 'स्वच्छ भारत मिशन' से की जा सकती है।

पंचायती राज संस्थान और स्वास्थ्य विभाग द्वारा विकसित आई.ई.सी. संचार सामग्री का उचित रूप से प्रदर्शन और वितरण कर उन्हें उपयोग करना।

टार्गेट 6.3

वर्ष 2030 तक प्रदूषण में कमी, कूड़े का ढेर लगाने की प्रथा के उन्मूलन और खतरनाक रसायनों तथा सामग्री के प्रवाह को न्यूनतम करके, अनुपचरित अपशिष्ट जल के अनुपात को आधा करके जल की गुणवत्ता को सुधारना तथा वैश्विक स्तर पर जल की पुनरावृत्ति और सुरक्षित पुनः उपयोग में वृद्धि करना।

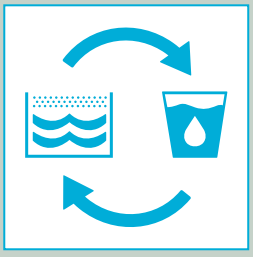

टार्गेट 6.4

वर्ष 2030 तक सभी क्षेत्रों में जल प्रयोग कुशलता में पर्याप्त वृद्धि करना तथा जलाभाव का समाधान करने के लिए मीठे जल की निरंतर निकासी और आपूर्ति सुनिश्चित करना और जलाभाव से पीड़ित लोगों की संख्या में पर्याप्त कमी लाना।

प्रस्तावित गतिविधि

पानी का तर्कसंगत प्रयोग

उपयुक्त फसल प्रणाली का चयन

उपयुक्त सिंचाई विधि के अभ्यास को सुनिश्चित करना

मांग–उपज मेल आधारित जल निकास का नियमितीकरण

आधुनिक कृषि और जल उपयोग प्रौद्योगिकियों को लोकप्रिय बनाना

जल निकायों की सुरक्षा

जल गुणवत्ता की निगरानी

पंचायत, न्याय पंचायत स्तर पर उपलब्ध कृषि विभाग के प्रतिनिधियों के साथ मिलकर पानी की बचत एवं उपयोग के बारे में किसानों को उन्मुख और बातचीत करने के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर बैठक कर सकती है जिसमें सिंचाई हेतु जल की बचत की तकनीक का उपयोग, जैसे– फव्वारा या ड्रिप सिंचाई का प्रयोग तथा ऐसे विभागों के साथ मिलकर कैम्प का आयोजन, जो इस प्रकार की सुविधा प्रदान करने के लिए ऋण या छूट प्रदान करते हैं।

तालाबों, अन्य जल निकायों और जलग्रहण क्षेत्र को किसी भी तरह की रुकावट से मुक्त रखने के लिए लोगों को एकजुट करना।

जल निगम/जल संस्थान के सहयोग से जल के सभी स्रोतों की गुणवत्ता की जांच निश्चित समयान्तराल पर हो, इसके लिए सहयोग करें।

7 सभी के लिए किफायती, भरोसेमंद, सतत् और आधुनिक ऊर्जा की उपलब्धता सुनिश्चित करना

टार्गेट 7.1

वर्ष 2030 तक सभी के लिए किफायती, भरोसेमंद और आधुनिक ऊर्जा सेवाएं सुनिश्चित करना।

टार्गेट 7.2

वर्ष 2030 तक वैश्विक ऊर्जा उत्पादन में नवीनीकरण ऊर्जा के हिस्से में पर्याप्त वृद्धि करना।

प्रस्तावित गतिविधि

पहुंच सुनिश्चित करने के लिए के लिए स्थिति मानचित्रण।

वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देना।

कैसे

वार्ड वार सभी परिवारों का मानचित्रण, जिसमें यह उल्लिखित हो कि किस परिवार में विद्युत कनेक्शन है तथा किस परिवार को इसकी ज़रुरत है। इस सूची को ब्लॉक स्तर पर ऊर्जा/विद्युत विभाग से साझा किया जाए और उनको ग्रामीण विद्युतीकरण योजना से जोड़कर कनेक्शन दिया जाए।

पंचायत किसानों के समूह के साथ बैठक कर सोलर वॉटर पम्प के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित करें।

वार्ड मेम्बर तथा समुदाय के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर ऊर्जा के विभिन्न स्रोतों (सौर, हवा, जैव) पर संहिता तैयार करें, और उसके फायदों के बारे में बताएं तथा जो पंचायत कार्यालय में सुविधाजनक रूप से उपलब्ध हों जिससे लोग जानकारी प्राप्त कर ऊर्जा के बेहतर विकल्प का उपयोग कर सकें।

ऊर्जा विभाग के साथ मिलकर खाना पकाने के ऊर्जा बचत उपकरण/ऊर्जा कुशल उपकरणों (घर में प्रयोग होने वाले) पर जागरुकता अभियान का आयोजन करें।

ऊर्जा विभाग के ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों के साथ मिलकर ऊर्जा बचत तकनीक पर ग्राम पंचायत में बैठक का आयोजन कर उनको जागरूक किया जाए कि घर में ऊर्जा की बचत लेड बल्ब का प्रयोग किया जा सकता है और यह भी बताएं कि डी.ई.एल.पी. के तहत लेड बल्ब पर सरकार छूट उपलब्ध करा रही है।

ऊर्जा विभाग से संपर्क कर वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत जैसे कि सौर ऊर्जा का प्रदर्शन कम से कम विद्यालयों और अन्य पंचायत स्तर की प्रतिष्ठानों में करें।

पंचायत (डी.आई.एस.सी.ओ.एम. एस. के साथ परामर्श से) भी 'ऑफ़ग्रिड सोलर' या 'बायोगैस प्लांट' स्थापित कर सकती हैं और लोगों को सस्ते दर पर कनेक्शन प्रदान कर सकती है तथा इसका जाल (ग्रिड) बिछा कर अपनी आय बढ़ा सकती है।

8 सभी के लिए सतत्, समावेशी और संधारणीय आर्थिक विकास, पूर्ण और लाभकारी रोज़गार तथा उचित कार्यों को बढ़ावा देना

टार्गेट 8.3

उत्पादक कार्य-कलापों, उचित रोज़गार सृजन, उद्यमिता, सर्जनात्मकता और नवोन्मेष का समर्थन करने वाली विकासोन्नमुखी नीतियों को बढ़ावा देना तथा वित्तीय सेवाओं की उपलब्धता सहित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को निश्चित स्वरूप देना एवं इसके विकास को प्रोत्साहित करना।

प्रस्तावित गतिविधि

लघु उद्यमों को बढ़ावा देना।

कैसे

पंचायत सदस्य, महिलाओं (वार्ड वार) को संगठित कर एस.एच.जी. की स्थापना और बैंकों के साथ जुड़ाव तथा समूह का बैंक में खाता खोलना जैसी संभावनाओं को तलाशने के लिए चर्चा और समर्थन जुटा सकेंगे।

ग्राम सभा एवं छोटे समूह की बैठक में पंचायतें, विभिन्न विभागों के ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों को बुला कर समूह एवं समुदाय के सदस्यों को उनके विभाग द्वारा स्वरोज़गार एवं उद्यम विकास पर चलाई जा रही योजनाओं के बारे में जानकारी प्रदान कर सकती हैं।

समुदाय के सदस्यों के साथ मिलकर पंचायत, स्थान एवं जगहों की पहचान कर सकती है, जहां पर सामान्य प्रकार की गतिविधियों को लोग स्थानीय स्तर पर संचालित कर सकें।

पंचायत अन्य कार्य भी कर सकती है, जो निम्न हैं –

1. गांव में विभिन्न प्रकार के उद्यम अवसरों की मैपिंग एवं सूची तैयार कराना।
2. उन इच्छुक लोगों की पहचान, जो उद्यम स्थापित करना चाहते हैं।
3. पंचायत, प्रतिनिधियों एवं स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को उद्यम विकास पर संवेदीकरण कार्यक्रमों का आयोजन।
4. पंचायत स्तर पर पारिस्थितिकी विश्लेषण।

टार्गेट 8.5

वर्ष 2030 तक युवाओं और निःशक्त व्यक्तियों सहित सभी महिलाओं और पुरुषों के लिए पूर्ण और लाभकारी रोज़गार तथा उचित कार्य की उपलब्धता एवं समान मूल्य के कार्य के लिए समान भुगतान सुनिश्चित कराना।

प्रस्तावित गतिविधि

मजदूर एवं रोज़गार के अवसरों पर पारिस्थितिक विश्लेषण।

कैसे

- अकुशल लोगों के लिए पूरे समय रोज़गार की प्राप्ति सुनिश्चित करने की योजना बनाना।
- वार्ड वार मजदूरों के बारे में आवश्यक सूचनाओं का संग्रहण, जिसमें कुशल एवं अकुशल, विशेषकर महिलाओं और उन लोगों के बारे में जो मनरेगा जैसी योजनाओं से जुड़े हैं।
- पंचायत अभियान चला कर उन सभी अकुशल मजदूरों का नामांकन मनरेगा के अंतर्गत करा सकती हैं, विशेषकर महिलाओं एवं दिव्यांग जनों का।
- पंचायत अभियान चला कर स्त्री–पुरुषों के बीच समान कार्य के लिए समान वेतन मिलना सुनिश्चित करें तथा इस आधार पर भेदभाव न हो, इसके लिए ग्राम सभा की बैठक में इसकी चर्चा सुनिश्चित करने के लिए एजेंडे में समीक्षा के प्रमुख बिन्दु के रूप में शामिल करें।

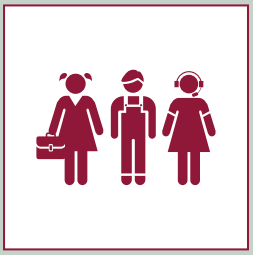

टार्गेट 8.6

वर्ष 2020 तक रोज़गार, शिक्षा अथवा प्रशिक्षण से वंचित युवाओं के अनुपात को पर्याप्त रूप से कम करना।

प्रस्तावित गतिविधि

शिक्षा या प्रशिक्षण के अभाव के कारण बेरोज़गार युवाओं के अनुपात को कम करने की योजना का विकास करना।

कैसे

पंचायत, ग्राम सभा/वार्ड सभा की विशेष बैठक बुला कर युवाओं की स्थिति की गणना कर सकती है, जैसे– कुशल या अकुशल बेरोज़गार युवाओं की कुल संख्या।

कौशल विकास केन्द्र के ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों के साथ समन्वय कर व्यापार की पहचान, कि युवाओं को उन्मुखीकरण हेतु प्रशिक्षण एवं सहयोग मिल सके।

पंचायत अभियान चला कर उन सभी अकुशल मजदूरों का नामांकन मनरेगा के अंतर्गत करा सकती हैं, विशेषकर महिलाओं एवं दिव्यांग जनों का।

उन युवाओं का सहयोग, जो प्रशिक्षित हो चुके हैं और ऋण लेकर उद्यम स्थापित करना चाहते हैं।

टार्गेट 8.7

बेगार से अभिप्राय - बेगार का उन्मूलन करने और सबसे खराब प्रकार के बाल श्रम का निषेद्य और उन्मूलन सुनिश्चित करने के लिए तात्कालिक और कारगर उपाय करना तथा वर्ष 2025 तक बाल श्रमिकों की भर्ती और उपयोग सहित सभी प्रकार के बाल श्रम का अंत करना।

प्रस्तावित गतिविधि

बच्चों के साथ हो रहे सभी प्रकार के शोषणों की समाप्ति।

कैसे

पंचायतें, यह सुनिश्चित कर सकती है कि सभी बच्चे विद्यालय जाएं – पंचायत सदस्यों की यह सुनिश्चित करने की ज़िम्मेदारी है कि सभी माता–पिता अपने बच्चों को विद्यालय भेज रहे हैं।

पंचायत, गांव स्तर पर निगरानी समिति की स्थापना कर यह देखें कि यह समिति निगरानी के द्वारा बाल मजदूरों के साथ गांव या गांव के आस–पास व्यवसायिक इकाइयों में हो रहे व्यवहारों की समीक्षा एवं संज्ञान रखें।

प्रधान विद्याालय विज़िट के समय प्रधानाध्यापक से यह सुनिश्चित करे कि सभी बच्चे नियमित विद्यालय आ रहे हैं।

10 राष्ट्र के अंदर एवं उनके बीच असमानता को कम करना

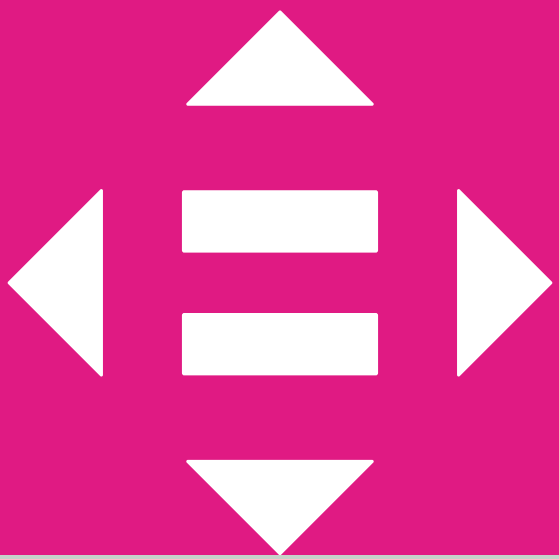

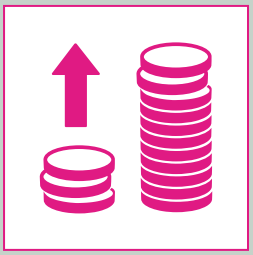

टार्गेट 10.1

वर्ष 2030 तक आबादी के सबसे निचले 40 प्रतिशत लोगों की आय को राष्ट्रीय औसत से अधिक दर से बढ़ाना तथा उसे बनाए रखना।

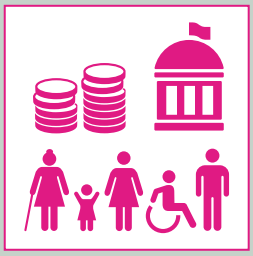

टार्गेट 10.2

वर्ष 2030 तक हर व्यक्ति को सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक रूप से सशक्त करना और बढ़ावा देना, चाहे वे किसी भी उम्र, लिंग, अशक्तता, प्रजाति, मूल धर्म अथवा आर्थिक या अन्य स्थिति के हों।

प्रस्तावित गतिविधि

यह सुनिश्चित करना कि आर्थिक एवं वित्तीय संसाधनों तक अवसर सुलभ हों।

सभी के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समावेश को बढ़ावा देना।

कैसे

ग्राम पंचायत ऐसे सभी प्रकार की आर्थिक गतिविधियों की संहिता तैयार कर सकती है, जिनको ग्राम पंचायत में शुरू किया जा सकता है।

'राष्ट्रीय ग्रामीण योजना' के तहत स्वयं सहायता समूह के गठन हेतु वार्ड वार माहिलाओं की बैठक का आयोजन कर सकते हैं।

वार्ड वार, छोटे किसानों की बैठक बुला कर सरकार की विभिन्न योजनाओं पर उन्मुखीकरण (विशेषकर कृषि एवं पशुपालन विभाग द्वारा संचालित) कर सकते हैं, जिससे कि इन योजनाओं का लाभ लेकर अपने उत्पादन एवं आय को बढ़ा सकें।

ग्राम सभा बैठक के दौरान चर्चा करने के लिए ऐसे विषयों को अपने एजेंडे में प्रमुखता से शामिल कर सकती है जो लोगों में किसी भी प्रकार का भेदभाव पैदा करती है।

ग्राम पंचायत में चुनी गई महिला सदस्यों के लिए विशेषकर उन्मुखीकरण कार्यशाला का आयोजन किया जाए जिससे कि वे ग्राम पंचायत की गतिविधियों में बढ़–चढ़ कर हिस्सा ले सकें।

पंचायत, गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों की आवश्यकताओं की पहचान कर एक मैट्रिक्स तैयार कर सकती है और उसी आधार पर उनको सामाजिक सुरक्षा योजना से जोड़ कर लाभ दिला सकती है तथा मनरेगा के अंतर्गत नामांकन करा सकती है।

वार्ड के सदस्य स्वयं सहायता समूह को बैंक के साथ जोड़ कर तथा ऋण दिला कर उनको अपना स्वयं का रोज़गार शुरू करने में मदद कर सकते हैं।

ग्राम शिक्षा समिति विद्यालय में नियमित भ्रमण कर इस बात का निरीक्षण करे, कि बच्चों के साथ किसी भी प्रकार का भेद–भाव नहीं हो, विशेषकर दोपहर के भोजन वितरण के समय।

पंचायत यह सुनिश्चित करे, कि ग्राम सभा की बैठक में महिलाओं को बुलाने की लिए विशेष प्रयास किए जाएं तथा उनको इस बात के लिए प्रोत्साहित किया जाए कि वे बैठक में अपने मुद्दों को स्वयं रखें।

12 सतत् उपभोग और उत्पादन प्रणाली सुनिश्चित करना

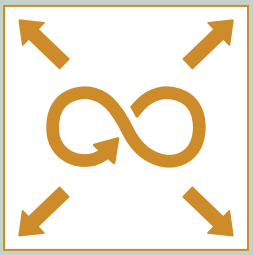

टार्गेट 12.1

विकासशील देशों के विकास एवं क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए, सभी देशों द्वारा सतत् उपभोग तथा उत्पादन संबंधी कार्यक्रम के 10 वर्षीय फ्रेमवर्क का कार्यान्वयन करने हेतु कार्यवाही की जाए, जिसका विकासशील देश नेतृत्व करें।

टार्गेट 12.2

वर्ष 2030 तक प्राकृतिक संसाधनों का सतत् प्रबंधन तथा प्रभावी उपयोग हासिल करना।

प्रस्तावित गतिविधि

संसाधनों का मानचित्रण

प्राकृतिक संसाधनों का कुशल प्रयोग

कैसे

- लेखपाल एवं वन विभाग के रेंजर की मदद से वार्ड वार सर्वेक्षण करा कर प्राकृतिक संसाधनों की पहचान करना।
- ग्राम सभा और अन्य पंचायती राज संस्थाओं में बैठक के समय प्राकृतिक संसाधनों के कुशल प्रयोग एवं रख–रखाव के महत्व को चर्चा प्रमुख बिन्दु के रूप में रखें।
- लोगों के बीच में इस बात को प्रचलित करें कि प्राकृतिक संसाधनों का कुशल प्रयोग कैसे किया जाए।
- वॉटर–शेड विकास क्षेत्र की पहचान करना।
- पेड़ लगाने के लिए प्रोत्साहित करना।
- अपशिष्ट जल प्रबंधन की योजना बनाना, जैसे– कमी, पुनरावृत्ति, अपशिष्ट जल का पुनः उपयोग आदि।
- ब्लॉक स्तरीय जल निगम के कर्मचारियों के साथ मिलकर समय–समय पर पंचायत में जल स्रोतों में प्रदूषण के स्तर की जांच कराना।
- बायो गैस, कम्पोस्ट पिट, धुआं रहित चूल्हा, सौर ऊर्जा, एल.पी.जी. के उपयोग को बढ़ावा देना आदि।
- वन उत्पादन के लिए गांव स्तर के बाज़ार का विकास करना।
- मनरेगा का उपयोग करते हुए मौजूदा तालाबों का नवीनीकरण।
- कृषि वानिकी और पारिस्थितिकी पर्यटन बढ़ावा देना।

टार्गेट 12.3

वर्ष 2030 तक खुदरा तथा उपभोक्ता स्तरों पर प्रति व्यक्ति वैश्विक खाद्य अपशिष्ट को आधा करना तथा उत्पादन एवं आपूर्ति श्रृंखला के दौरान आहार को होने वाले नुकसान को कम करना, जिसमें फसल कटाई के बाद होने वाला नुकसान भी शामिल है।

प्रस्तावित गतिविधि

उत्पादन, आपूर्ति और पैदावार के बाद होने वाले नुकसान आदि में सुधार।

कैसे

- पंचायत सदस्य, कृषि विकास अधिकारी को बुला कर ब्लॉक स्तर पर कार्य कर रहे किसानों के साथ चर्चा कराएं, जिससे कि वे अपने खेती में आधुनिक कृषि तकनीक व्यवहार को अपनाने के लिए प्रेरित हों।
- ग्राम पंचायत स्तर पर गोदाम का निर्माण कर उत्पादन के भण्डार को संरक्षित करें ताकि फसल कटने के बाद नुकसान न्यूनतम हो।

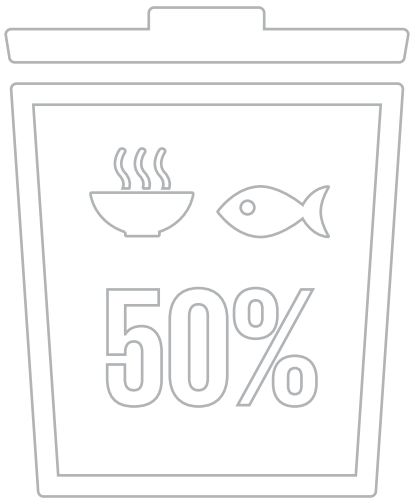

टार्गेट 12.4

वर्ष 2030 तक रसायनों तथा सभी अपशिष्टों का उनके पूरे जीवनचक्र के दौरान पर्यावरणीय रूप से ठोस प्रबंधन हासिल करना जो सहमति वाले अन्तर्राष्ट्रीय फ्रेमवर्क के अनुरूप हो तथा हवा, पानी और मिट्टी में उनके मिलने की संभावना को कम करना ताकि मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण पर उसके दुष्प्रभाव को न्यूनतम किया जा सके।

प्रस्तावित गतिविधि

ज़हरीले कचरे का प्रबंधन।

कैसे

- जैविकीय कृषि को बढ़ावा देना तथा कृषि, खेती एवं वानिकी में कीटनाशकों का उपयोग कम से कम करना।
- पंचायती राज संगठन द्वारा गांवों में डी.जी. सेटों के उपयोग को हतोत्साहित करने और डी.जी. सेटों से उत्सर्जन को कम करने तथा चिकनाई वाले तेल के उचित भण्डारण व इसके प्रयोग को करने के लिए प्रेरित करना।
- स्थानीय लोगों को संवेदीकरण द्वारा प्लास्टिक या गैर–बायोडिग्रेडेबल कचरे को जलाने से रोकना।

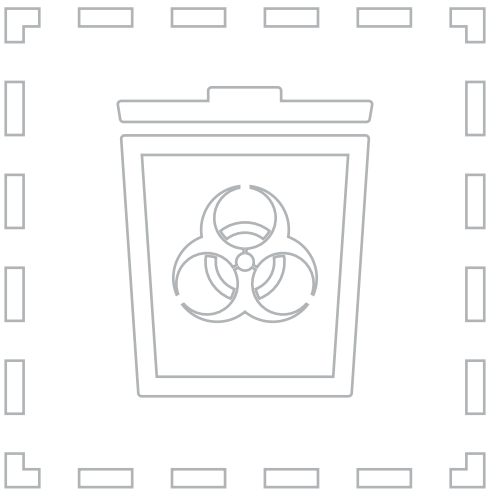

टार्गेट 12.5

वर्ष 2030 तक, अपशिष्ट सृजन में रोकथाम, कमी, पुनर्चक्रण तथा पुनरोपयोग द्वारा ख़ासी कमी लाना।

प्रस्तावित गतिविधि

जैव अनुकूल व्यवहार के उपयोग को बढ़ावा देना।

कैसे

- किसानों को कार्बनिक साधनों का उपयोग करने के लिए समझाएं एवं प्रोत्साहित करें, जैसे– गायों का गोबर, कार्बनिक खाद, एन.ए.डी.ई.पी. खाद, चारे और सूखी पत्तियों से बनी खाद, कृमिखाद आदि।
- पंचायत यह सुनिश्चित करे कि किसान खेतों में बचे अवशेष को नष्ट करने के लिए जलाने का सहारा न ले।
- वार्ड वार, अभियान का आयोजन कर नष्ट होने वाले अपशिष्ट का परिवार एवं पड़ोस स्तर पर उचित प्रबंधन सुनिश्चित करने हेतु प्रोत्साहित करना।
- ए.डी.ओ. पंचायत के साथ सहयोग कर, 'स्वच्छ भारत मिशन' के अंतर्गत ठोस एवं द्रव अपशिष्ट प्रबंधन हेतु योजना बनाना एवं उसका क्रियान्वयन सुनिश्चित करना।
- शिक्षा विभाग के सहयोग से विद्यालय परिसर में अपशिष्ट प्रबंधन इकाई का प्रदर्शन जैसे सोक पिट, भूरे रंग के पानी के उपयोग से फूलों की क्यारी का विकास, आँगन में सब्ज़ी की खेती आदि।
- प्राकृतिक पेड़–पौधे उच्च ढलान क्षेत्रों, बंजर भूमि और अन्य सामुदायिक भूमि में लगाना।

टार्गेट 12.6

कम्पनियों और खासकर बड़ी और बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के सतत् व्यवहार को अंगीकृत करने तथा सतत् सूचना को उनकी रिपोर्टिंग साइकिल में शामिल करने के लिए प्रोत्साहित करना।

टार्गेट 12.7

सतत् और राष्ट्रीय नीतियों तथा प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए सार्वजनिक खरीददारी व्यवहारों को बढ़ावा देना।

टार्गेट 12.8

वर्ष 2030 तक यह सुनिश्चित करना कि सभी जगहों पर लोगों के लिए ऐसे सतत् विकास और जीवनशैली संबंधी संगत सूचना और जागरुकता बनी रहे, जो प्रकृति के अनुरूप हो।

प्रस्तावित गतिविधि

पंचायत भवन में सूचनापट् लगाना।

कैसे

- कृषि और वन विभाग से प्रचार संबंधी जानकारी और अन्य संबंधित सामग्रियों को इकट्ठा करें।
- इसे सामान्य स्थानों, जैसे – पंचायत भवन, सामुदायिक केन्द्र, विद्यालयों आदि पर यथा समय प्रदर्शित करें।
- सार्वजनिक जागरुकता कार्यक्रमों/अभियानों को संचालित करें।

13 जलवायु परिवर्तन और इसके प्रभावों से निपटने के लिए तात्कालिक कार्यवाही करना

टार्गेट 13.1

सभी देशों में जलवायु संबंधी जोखिमों और प्राकृतिक आपदाओं से निपटने की क्षमता तथा उसके अनुकूल बनने की क्षमता को मज़बूत करना।

टार्गेट 13.2

राष्ट्रीय नीतियों, कार्यनीतियों और योजनाओं में जलवायु परिवर्तन संबंधी उपायों को शामिल करना।

टार्गेट 13.3

जलवायु परिवर्तन अल्पीकरण, अनुकूलन, प्रभाव न्यूनीकरण तथा शीघ्र चेतावनी संबंधी जानकारी, जागरुकता वृद्धि और इसके लिए मानवीय तथा सांस्थानिक क्षमता को बढ़ाना।

प्रस्तावित गतिविधि

जलवायु परिवर्तन पर जागरुकता को बढ़ाना।

कैसे

- ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों के सहयोग से इस बात पर किसानों का क्षमता निर्माण करना कि वे जलवायु एवं प्राकृतिक आपदा से संबंधित विषयों की पहचान कर सकें।
- पंचायत ऐसे लोगों का डाटा ग्राम पंचायत में तैयार कर सकती है जिनसे ख़तरे के समय/पूर्व प्रधान आसानी से संपर्क कर सकता है।
- बेसिक शिक्षा से समन्वयन कर विद्यालय में बच्चों को जलवायु परिवर्तन एवं इसके पड़ने वाले दुष्प्रभावों को बताया जा सकता है।
- जिला कृषि विकास अधिकारी से समन्वयन कर आपदा पूर्व चेतावनी संदेश को प्राप्त कर आगे किसानों को भेजना।
- वन और बागवानी विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर वृक्षारोपण के लिए स्थानीय नर्सरी का विकास।
- युवाओं तथा लोगों की पहचान कर उनको इस बात के लिए प्रशिक्षण देना कि वे प्राकृतिक आपदा के समय बचाव कार्य में मदद दें सकें।
- कृषि विभाग के साथ समन्वय कर किसानों को आधुनिक कृषि प्रणाली पर उन्मुखीकरण कर अपनाने के लिए प्रेरित करना, जिससे किसान कुशल तकनीक का सही से प्रयोग कर सकें।
- ऐसे सन्दर्भ साहित्य को खरीद/संरक्षित कर सभी लोक स्थानों के माध्यम प्रदर्शित करना।
- ब्लॉक स्तरीय स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर यह सुनिश्चित करना कि आपदा (सूखा, बाढ़ या महामारी) के समय चिकित्सकीय सहायता उपलब्ध हो सके।
- स्वदेशी को बढ़ावा देने के लिए जिला प्राधिकारियों के साथ समन्वय द्वारा जलवायु परिवर्तन पर ज्ञान, कृषि वानिकी या स्वदेशी उत्पाद (हस्तशिल्प) अपनी आजीविका में अनुकूलन सुधार करने के उपाय आदि।

15 स्थलीय पारिस्थिकी तंत्रों का संरक्षण और पुनरुद्धार करना तथा इनके सतत् उपयोग को बढ़ावा देना, वनों का सतत् तरीके से प्रबंधन करना, मरुस्थल विरोधी उपाय करना, भूमि अवक्रमण को रोकना तथा प्रवर्तित करना और जैव विविधता की हानि को रोकना

टार्गेट 15.1

वर्ष 2020 तक अंतर्राष्ट्रीय करारों के तहत दायित्वों की तर्ज़ पर कतिपय वनों, आंध्र प्रदेशों, पर्वतों और शुष्क भूमि में भौमिक तथा अंतर्देशीय मीठे जल एवं पारितंत्र तथा उसकी सेवाओं का संरक्षण, पुनरुद्धार और सतत् उपभोग सुनिश्चित करना।

प्रस्तावित गतिविधि

वनों के संरक्षण, प्रबंधन और रोकथाम (हानि और बहाली), तथा झीलों के स्थायी/सतत् उपयोग।

सघन और निरन्तर सार्वजनिक अभियान द्वारा जल संबंधी सभी पहलुओं पर जागरुकता, जिसमें पानी के वास्तविक मूल्य, पानी के प्रदूषण के कारण स्वास्थ्य और आर्थिक नुकसान, पानी की कमी तथा जल अपशिष्ट आदि।

कैसे

वनों के संरक्षण एवं संवर्धन पर ग्राम पंचायत के सदस्यों से संपर्क कर आग नियंत्रण गतिविधि एवं संकट प्रबंधन योजना का निर्माण।

ग्राम पंचायत प्रदूषित क्षेत्रों की पहचान कर सकती है और नियंत्रण के उपायों की तैयारी के लिए फ्रंटलाइन वनकर्मियों के साथ–साथ बातचीत कर सकती है।

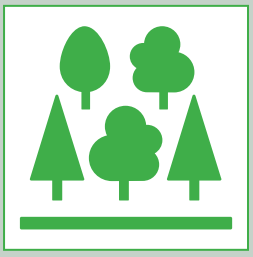

टार्गेट 15.2

वर्ष 2020 तक सभी प्रकार के वनों के सतत् प्रबंधन के क्रियान्वयन को बढ़ावा देना, वनोन्मूलन को रोकना, अवक्रमित वनों का पुनर्निर्माण करना और वनीकरण में वृद्धि करना तथा वैश्विक रूप से पुनः वनीकरण करना।

प्रस्तावित गतिविधि

'राष्ट्रीय कृषि मिशन' के अंतर्गत कृषि वानिकी के प्रचार–प्रसार हेतु हर साल 1 करोड़ पौधों का राज्य के द्वारा वृक्षारोपण का लक्ष्य।

कैसे

ग्राम पंचायत द्वारा ग्रामीणों को कृषि वानिकी हेतु समझा–बुझा कर प्रोत्साहित करना, निजी नर्सरी की स्थापना तथा कृषि वानिकी के लिए प्रशिक्षण का आयोजन करना।

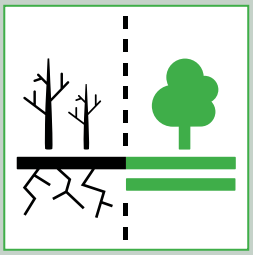

टार्गेट 15.3

वर्ष 2020 तक, मरुस्थलीकरण को रोकना, मरुस्थल, सूखा और बाढ़ से प्रभावित भूमि सहित अवक्रमित भूमि तथा मृदा का पुनरुद्धार करना और भूमि अवक्रमण निष्पक्ष विश्व को हासिल करने के लिए प्रयास करना।

प्रस्तावित गतिविधि

निम्नीकृत भूमि का मानचित्रण

कैसे

ग्राम पंचायत द्वारा निम्नीकृत भूमि की जानकारी एकत्रित कर सूचना प्रदान करना एवं वन विभाग/ग्राम पंचायत विभाग द्वारा स्वयं बागान के लिए निम्नीकृत भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करना।

टार्गेट 15.5

प्राकृतिक आवासों के अवक्रमण को कम करने के लिए तात्कालिक और सार्थक कार्य करना, जैव विविधता की क्षति और वर्ष 2020 तक संकट ग्रस्त प्रजातियों को विलुप्त होने से रोकना।

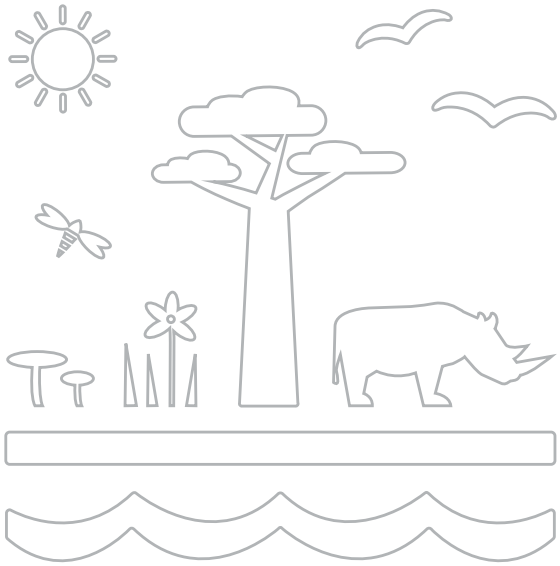

प्रस्तावित गतिविधि

जैविक विविधता अधिनियम, 2002, जैव विविधता नियम, 2004 और जैविक संसाधन संबंधी सुलभता पर दिशा–निर्देश और संबंधित ज्ञान और लाभ साझाकरण विनियम, 2014 के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु ग्राम सभा स्तर/स्थानीय स्तर पर बैठकों में इनको साझा करना।

वन्यजीव और जैव विविधता के मानचित्रण और राज्य के 9 कृषि–जलवायु क्षेत्रों के वनस्पतियों और जीवों (लोक जैव विविधता रजिस्टर) के आधारभूत आंकड़ों का डिजिटलीकरण।

कैसे

ग्राम पंचायत की बैठक में जैविक विविधता अधिनियम, 2002 पर लोगों को जागरूक करना।

वनस्पतियों और जीवों (लोक जैव विविधता रजिस्टर) के आधारभूत सर्वेक्षण को अद्यतन रखने के लिए नियमित होने वाली बैठक एवं तैयारी में सहभागिता कराना।

टार्गेट 15.7

वनस्पति और जीवों की संरक्षित प्रजातियों के अवैध शिकार तथा अवैध रूप से बेचने की प्रक्रिया को रोकने के लिए तात्कालिक उपाय करना अवैध वन्य जीव उत्पादों की मांग एवं आपूर्ति - दोनों को हल करना।

प्रस्तावित गतिविधि

जंगल के संरक्षण लिए पेड़ों को अवैध रूप से काटना, अवैध खनन और अतिक्रमण आदि पर जांच द्वारा नियंत्रण।

प्रजनन के लिए प्राकृतिक आवास का विकास और पक्षियों की सुरक्षा।

कैसे

स्थानीय वन कर्मचारी के साथ ग्राम पंचायत का नियमित संपर्क और जानकारी का आदान–प्रदान, वन की सुरक्षा के लिए अवैध कटाई, अवैध खनन और अतिक्रमण से बचाव हेतु जागरुकता पैदा करना।

टार्गेट 15.9

वर्ष 2020 तक राष्ट्रीय और स्थानीय योजना, विकास प्रक्रियाओं, गरीबी को कम करने संबंधी कार्यनीतियों और लेखों का परितंत्र तथा जैव विविधता संबंधी मान का एकीकरण करना।

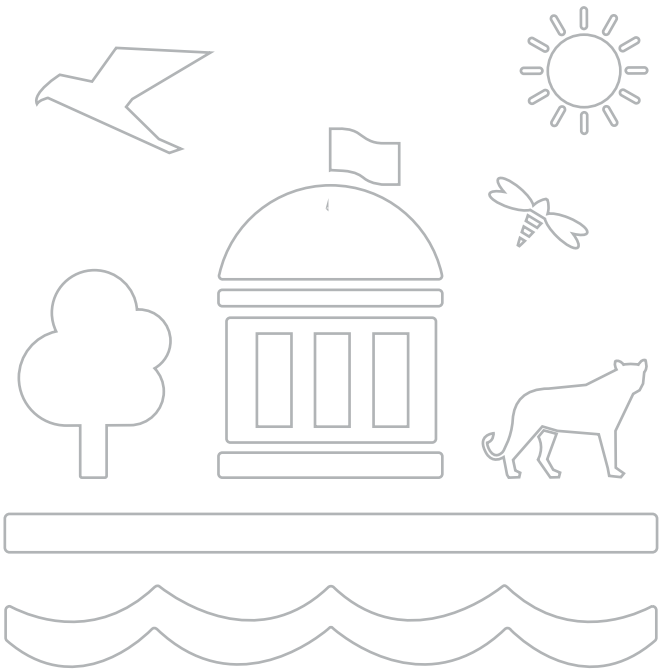

प्रस्तावित गतिविधि

लोगों की सहभागिता से ग्राम पंचायत स्तर पर वनीकरण के लिए योजना बनाना।

राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आर.जी.एस.ए.) के क्रियान्वयन द्वारा तथा पंचायती राज संस्थाओं की क्षमता निर्माण कर प्रशासनिक दक्षता को विकसित करना, जिससे SDGs के लक्ष्यों को प्राप्त करने के साथ–साथ ग्राम पंचायत विकास योजना की प्रक्रिया का पालन करने हेतु पंचायत सशक्त होकर राजकोषीय स्थानांतरण भी कर सकें।

कैसे

ग्राम पंचायत विकास योजना की तैयारी में (पेड़ लगाने/वनीकरण गतिविधि के लिए) वन विभाग का परामर्श लिया जाए।

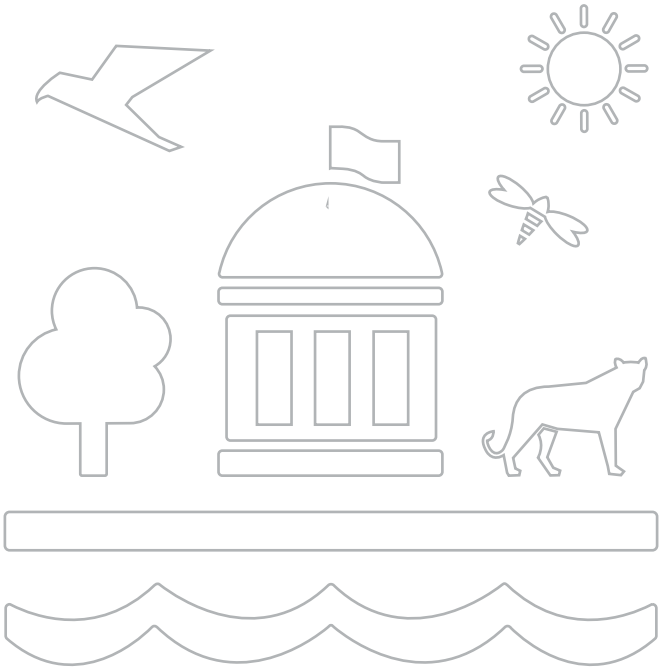

16

सतत् विकास के लिए शांतिपूर्ण और समावेशी समाज को बढ़ावा देना, सभी को न्याय उपलब्ध कराना तथा सभी स्तरों पर कारगर, जवाबदेह और समावेशी सस्थाओं का निर्माण करना

टार्गेट 16.1

हर जगह हिंसा और संबंधित सभी प्रकार की मृत्यु दरों में व्यापक कमी करना।

प्रस्तावित गतिविधि

समुदाय के बीच सद्भावना पैदा करना।

घरेलु हिंसा एवं महिलाओं के विरुद्ध हिंसा का अंत।

सभी प्रकार के दुर्घटनाओं में कमी करना।

भूमि संबंधी विवाद में कमी करना।

कैसे

पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधि विभिन्न समुदायों के प्रतिनिधियों के साथ मिलकर निम्न कार्य कर सकते हैं –

- पंचायत स्तर पर सद्भावना दिवस आयोजन करें और समाज के सभी वर्गों को इसमें भाग लेने के लिए आमंत्रित करें।
- गांव स्तर पर बैठकों के दौरान किसी भी प्रकार की घरेलू हिंसा और महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के बारे में चर्चा करें, इसे एजेंडे में प्रमुख स्थान दें।
- यदि संभव हो तो पंचायत एक परामर्शदाता (गांव से ही) की पहचान कर सकती है जो ऐसे घरों/परिवारों से भेंट/परामर्श कर सकता है।

पंचायती राज संस्थाओं के सदस्य विद्यालय के अध्यापकों के साथ मिलकर निम्न कार्य कर सकते हैं –

- विद्यालय के सामने सड़क पर तथा अन्य सार्वजनिक स्थान पर गतिरोधक बनाना।

- गांव के स्तर पर सभी जाति/सामाजिक पृष्ठभूमि के लोगों को शामिल करना और किसी भी प्रकार से विभिन्न सामाजिक और धार्मिक समूहों के लोगों के बीच दुश्मनी से बचने के लिए संबंध लोगों को बोध प्रदान करना।
- बैठकों के दौरान अदालत या पुलिस शिकायतों का सहारा लेने की बजाय लोगों को पंचायतों के भीतर मामूली विवादों का निपटारा करने के लिए प्रोत्साहित करें।
- समूह (एस.एच.जी. आदि) की बैठकों के दौरान महिलाओं को किसी भी तरह की हिंसा की संज्ञान/रिपोर्ट और चर्चा करने के लिए को प्रोत्साहित करें।
- पंचायत सूचित की गई घटनाओं (अपराध और बच्चों के विरुद्ध हिंसा) पर वॉर्ड वार रिपोर्ट कार्ड तैयार कर सकती है तथा ग्राम सभा की बैठकों के दौरान इस रिपोर्ट कार्ड पर चर्चा कर सकती है।
- सड़क सुरक्षा एवं आपदा तैयारियों पर आई.ई.सी. संदर्भ सामग्री विभागों से प्राप्त कर पंचायत कार्यालय तथा अन्य महत्वपूर्ण जगहों पर प्रदर्शित करें।
- भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण/अंकरूपण के प्रयास में पी.आर.आई. और पंचायत सचिव सरकार की सहायता कर सकते हैं।

टार्गेट 16.2

बच्चों के प्रति दुर्व्यवहार, उनके शोषण, अवैध तौर पर बेचने की प्रक्रिया तथा सभी प्रकार की हिंसा और उत्पीड़न को समाप्त करना।

प्रस्तावित गतिविधि

बाल शोषण, तस्करी एवं महिलाओं के विरुद्ध हिंसा पर जागरुकता पैदा करना।

कैसे

- विद्यालय में बच्चों के नामांकन के बारे में शिक्षकों के साथ चर्चा के लिए विद्यालयों का नियमित भ्रमण।
- उन परिवारों के साथ नियमित तौर पर बैठक, जिनके बच्चे विद्यालय में नहीं जा रहे हैं।
- बच्चों के खिलाफ हिंसा के मुद्दों पर पंचायत की बैठकों के दौरान लोगों के साथ बातचीत करने के लिए न्यायपालिका तथा पुलिस विभाग से लोगों को आमंत्रित करना।
- पंचायत के चारों ओर किसी भी प्रकार की व्यवसायिक गतिविधियों पर निगरानी करते हुए रिकॉर्ड को बनाए रखना और यह देखना कि वे अपने गांव से किसी भी बाल श्रमिक को रोज़गार पर नहीं रखते है।
- प्रधान अपने नेतृत्व में कर सभी वार्ड सदस्यों के साथ मिलकर पंचायत स्तर पर महिला और बाल समिति गठन कर सकते हैं।

टार्गेट 16.3

राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर कानूनी नियमों को बढ़ावा देना और सभी के लिए एक समान न्याय सुनिश्चित करना।

प्रस्तावित गतिविधि

कानूनी प्रणाली तक पहुंच को बढ़ावा देना।

कैसे

- कानूनी प्रक्रिया की आसान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए कियॉस्क और शिकायत केन्द्र स्थापित करें।
- ग्राम सभा की बैठक के दौरान छोटे–छोटे मामले को निपटने के लिए लोक अदालत का आयोजन।
- समुदाय के सदस्यों को पंचायत की बैठकों का सभी प्रकार के अपराधों की रिपोर्ट और रिकॉर्ड करने के लिए मंच के रूप में उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करें।

टार्गेट 16.6

सभी स्तरों पर प्रभावी, जबावदेह तथा पारदर्शी संस्थाओं का विकास करना।

टार्गेट 16.7

सभी स्तरों पर अनुक्रियाशील, समावेशी, सहभागी और प्रतिनिधिक निर्णय लेना सुनिश्चित करना।

प्रस्तावित गतिविधि

ग्राम सभा का समय से आयोजन।

कैसे

- ग्राम सभा की बैठकों में समाज के सभी वर्ग के लोगों से पूर्ण भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए वार्ड के सदस्यों को प्रोत्साहित करें।
- ग्राम सभा के एजेंडे को पहले से ही प्रचारित–प्रसारित करें ताकि पंचायत से संबंधित सभी बिन्दुओं पर विचार–विमर्श किया जा सके।
- पंचायत की बैठकों के दौरान की गई सभी चर्चाओं और निर्णयों को सार्वजनिक करना।
- साल में एक बार बच्चों और महिलाओं के मुद्दे पर विशेष ग्राम सभा की बैठक आयोजित करें।

टार्गेट 16.9

वर्ष 2030 तक जन्म पंजीकरण सहित सभी के लिए वैधानिक पहचान उपलब्ध कराना।

प्रस्तावित गतिविधि

जन्म और मृत्यु का रिकॉर्ड रखना।

कैसे

- सामुदायिक घटनाओं और त्योहारों के दौरान नियमित अभियानों के माध्यम से 'सूचना के अधिकार अधिनियम' को लोकप्रिय बनाना।
- यह सुनिश्चित करना कि पंचायत में जन्मे सभी बच्चों का रिकॉर्ड हो और पंचायत द्वारा प्रमाण पत्र निर्गत किया गया हो।
- जनसंख्या रजिस्टर तैयार कर प्रतिमाह इसे अपडेट करना।

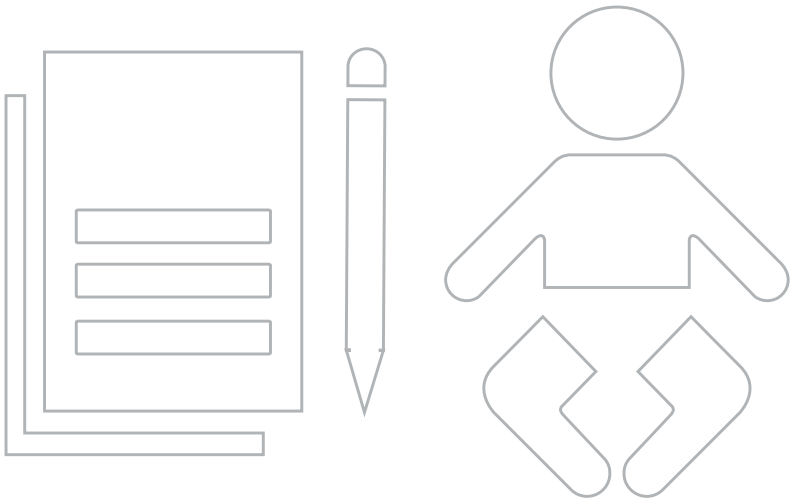

टिप्पणियां